प्रारूप–घ

न्यायालय :– छब्बीसवें, अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)
(समक्ष : डॉ. (श्रीमती) शुभ्रा सिंह)

सत्र प्रकरण क्र. 400773/2014
फाईलिंग नंबर : 45799/2014
सी.एन.आर.नंबर : एम.पी– 0901–011656–2014
प्रस्तुति दिनांक : 26.09.2014

(निर्णय)
(दिनांक 27/07/2026)

अभियोजन	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र लसुड़िया, जिला इंदौर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री योगेश जायसवाल अति. लोक अभियोजक।
अभियुक्त क्र. 01	प्रदीप पिता ओमप्रकाश राठौड़, आयु–40 वर्ष, व्यवसाय–काश्तकारी निवासी–रेहठ गांव, जिला हरदा (म.प्र.)
अभियुक्त क्र. 02	ओमप्रकाश पिता मांगीलाल राठौड़, आयु–64 वर्ष, व्यवसाय–किसानी निवासी–रेहठ गांव, जिला हरदा (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री ललित काला अधिवक्ता।
अभियुक्त क्र. 03	रविशंकर पिता लक्ष्मीनारायण धाकड़, निवासी–ग्राम निरंजनपुरा जिला हरदा (म.प्र.) **(फरार)**

प्रारूप–ड.

अपराध की दिनांक	17.06.2014
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	17.06.2014
आरोप पत्र की दिनांक	27.11.2015

आरोपों के विरचना की दिनांक	11.02.2015 व 20.03.2015
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की दिनांक	06.05.2016
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	21.07.2026
निर्णय की दिनांक	27.07.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	27.07.2026

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी की दिनांक**	**जमानत पर रिहा किये जाने की दिनांक**	**अपराध जिनका आरोप है**	**दोषमुक्ति या दोषसिद्धि**	**अधिरोपित दंडादेश (सश्रम)**	**धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि**
01	प्रदीप राठौड़	29.06.2014	05.03.2015	302 व 120—बी भा.दं.सं.	दोषसिद्ध	भा.द.सं. की धारा 302 व 120बी में अर्थात् प्रत्येक धारा में आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारवास	दिनांक 29.06.2014 से दिनांक 05.03.2015 तक
02	ओमप्रकाश राठौड़	29.06.2014	23.11.2017	302 व 120—बी भा.दं.सं.	दोषसिद्ध	भा.द.सं. की धारा 302 व 120बी में अर्थात् प्रत्येक धारा	दिनांक 29.06.2014 से दिनांक 23.11.2017 तक

						में आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारवास	

1. अभियुक्त प्रदीप व ओमप्रकाश के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से ''**संहिता**'' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की धारा 302 व 120—बी के अंतर्गत यह आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 17.06.2014 को इंद्रजीत सिंह के खेत गुरुद्वारे के पास बायपास रोड, निपानिया रोड, इंदौर थाना लसुड़िया के क्षेत्रान्तर्गत समय लगभग 04:00 बजे मृतक अतुल राठौर को पत्थरों से मारकर साशय मृत्यु कारित कर हत्या की एवं मृतक अतुल राठौर की हत्या करने के आशय से जो कि मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय अपराध है, को करने हेतु अन्य सहअभियुक्तगण के साथ संयुक्ततः एवं सम्मिलित होकर आपराधिक षड़यंत्र किया और उपरोक्त आपराधिक षड़यंत्र के अंतर्गत मृतक अतुल राठौर की हत्या कारित की।

2. प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त रविशंकर के अनुपस्थित रहने के कारण के उसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी कर उसको फरार घोषित किया गया है, अतः यह निर्णय अभियुक्तगण प्रदीप व ओमप्रकाश के विरुद्ध चले विचारण में घोषित किया जा रहा है।

3. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि—

(1) सूचनाकर्ता नरेंद्र चौधरी के बताये अनुसार

उपनिरीक्षक एम.के. रघुवंशी द्वारा प्रदर्श पी–01 की देहाती इस आशय की लेख की गई कि सूचनाकर्ता पिपल्या कुमार में रहते हैं एवं इंद्रजीत सरदार का खेत 6–7 साल से हांक रहे हैं। दिनांक 17.06.2014 को वे अपना ट्रैक्टर लेकर इंद्रजीत के खेत में खेत हांकने आये, लगभग 04:00 बजे खेत के रास्ते पर पहुंचे तो देखा कि इंद्रजीत के खेत के कोने पर एक अज्ञात व्यक्ति पड़ा है, पास जाकर देखा तो अज्ञात पुरुष करीब 40–45 वर्ष शरीर पर नीली पेंट, काली धारी वाली शर्ट, पैरों में जूते पहने मृत हालत में पड़ा है, जिसके सिर पर चोट होकर खून जमीन पर जमा है, उसके पश्चात बायपास पर पुलिस वाले गश्त पर आये, उनको सूचना दी। उक्त देहाती नालसी मर्ग इंटीमेशन क्रमांक 0 / 14 पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अंतर्गत पंजीबद्ध की गयी।

(2) मर्ग विवेचना के दौरान साक्षीगण की तलबी हेतु प्रदर्श पी–08 का पंचायत नामा (मृत्यु जांच) में उपस्थित होने का आवेदन पत्र दं.प्र.सं. की धारा 175 के अंतर्गत तैयार किया गया। आहूत किए गए साक्षियों के समक्ष मृतक की लाश का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–04 तैयार किया गया, जिसमें पंचों की राय में मृतक की मृत्यु उसको आई चोटों से होना प्रतीत होती थी, किन्तु मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए मृतक के शव को शव परीक्षण हेतु एम.वाय. अस्पताल भेजा गया, जहां से मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–20 प्राप्त हुई। प्रदर्श पी–20 अनुसार असल मर्ग की कायमी की गई तथा उक्त आधार पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना लसुड़िया, जिला इंदौर के अपराध क्रमांक 626 / 2014 पर संहिता की धारा 302 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया।

(3) अभियोजन का यह भी प्रकरण है कि मृतक के शव को एम.वाय. अस्पताल में रखा गया था, जहां मृतक के शव को उसकी पत्नी

शोभा ने पहचान कर उसकी शिनाख्त की थी और यह बताया कि यह शव उनके पति अतुल राठौर का है, उक्त संबंध में बनाया गया शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–18 है। अनुसंधान के दौरान उपनिरीक्षक युवराज सिंह (अ.सा.–17) द्वारा मृतक की पत्नी शोभा राठौर के कथन लेखबद्ध किये। दिनांक 29.06.2014 को अभियुक्तगण प्रदीप व ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–05 व 06 बनाए गए। दिनांक 30.06.2014 को अभियुक्त प्रदीप से पूछताछ कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम (जिसे सुविधा की दृष्टि से **अधिनियम** के नाम से संबोधित किया जायेगा) की धारा 27 का मेमोरेंडम प्रदर्श पी–09 तैयार किया गया, जिसमें अभियुक्त प्रदीप ने मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी–47 / 6818 अपने घर में छिपाकर रखने व बरामद कराने की जानकारी दी। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त ओमप्रकाश से पूछताछ कर अधिनियम की धारा 27 का मेमोरेंडम प्रदर्श पी–09 तैयार किया गया, जिसमें अभियुक्त ओमप्रकाश ने मोबाइल झाड़ियों में फेंकने व बरामद कराने की जानकारी दी।

(4) अभियोजन का यह भी प्रकरण है कि अनुसंधान के दौरान उपनिरीक्षक युवराज सिंह (अ.सा.–17) द्वारा दिनांक 01.07.2014 को अभियुक्तगण प्रदीप व ओमप्रकाश से पुनः पूछताछ कर अधिनियम की धारा 27 के मेमोरेंडम क्रमशः प्रदर्श पी–13 व 14 तैयार किए गए, जिनमें उन्होंने पहने हुए कपड़े घर में अलमारी में छिपाकर रखने व बरामद कराने की जानकारी दी। दिनांक 01.07.2014 को अभियुक्त ओमप्रकाश द्वारा झाड़ियों से निकालकर प्रस्तुत करने पर एक सफेद रंग का माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल एवं एक माइक्रोमैक्स कंपनी की बैटरी को प्रदर्श पी–15 के जप्ती पत्रक अनुसार जप्त किया गया। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त ओमप्रकाश से एक काले रंग की बारीक चौकड़ी डिजायन की पेंट एवं लाल कत्थई सफेद रंग का पेंट को प्रदर्श

पी–16 के जप्ती पत्रक अनुसार जप्त किया गया। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त प्रदीप से एक जींस हरे रंग की खून के धब्बे लगे हुए, एक ग्रे कलर की फुल बांह की शर्ट एवं नीले रंग की हीरो होण्डा स्पलेण्डर मोटरइसाइकिल को प्रदर्श पी–17 के जप्ती पत्रक अनुसार जप्त किया गया।

(5) अभियोजन का यह भी प्रकरण है कि अनुसंधान के दौरान उपनिरीक्षक ओमकार सिंह भदौरिया (अ.सा.–19) द्वारा दिनांक 25.09.2014 को नोडल अधिकारी आइडिया कंपनी को मोबाइल नंबर 9977887620, 7354689263 व 9977711185 की कॉल डिटेल एवं कैफ फार्म के संबंध में पत्र प्रदर्श पी–21 लिखा गया। दिनांक 29.12.2014 को अभियुक्त रविशंकर को प्रदर्श पी–29 के गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ कर अधिनियम की धारा 27 का मेमोरेंडम प्रदर्श पी–30 तैयार किया गया।

(6) अभियोजन का यह भी प्रकरण है कि अनुसंधान के दौरान उपनिरीक्षक ओमकार सिंह भदौरिया (अ.सा.–19) द्वारा उक्त दिनांक को ही अभियुक्त रविशंकर के बताए अनुसार उसके घर से एक मोटरसाइकिल डिस्कवर क्रमांक एम.पी. 09 एन.जेड. 5028 मय चाबी तथा एक स्लेटी कलर का शर्ट, जिसमें पिंक कलर की लाइनिंग थी, एक हल्के ब्राउन कलर का पेंट, 1000/–रुपये के पांच नोट कुल 5000/– रुपये, एक माइक्रोमैक्स कंपनी का लाल कलर का मोबाइल जिसका मॉडल नंबर एक्स. 264 को प्रदर्श पी–31 के जप्ती पत्रक अनुसार जप्त किया गया।

(7) अभियोजन का यह भी प्रकरण है कि अनुसंधान के दौरान उपनिरीक्षक ओंकार सिंह भदौरिया (अ.सा.–19) द्वारा दिनांक 30.12.2014 अभियुक्त रविशंकर द्वारा 25,000/–रुपये, मोटर साइकिल, कपड़े एवं 25,000/– रुपये में से बची शेष राशि बरामद कराने की जानकारी दी थी,

उक्त पूछताछ का अधिनियम की धारा 27 का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–32 है। अनुसंधान के दौरान साक्षीगणों के कथन लिए गए तथा संपूर्ण अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र जे.एम.एफ.सी. न्यायालय, इंदौर में प्रस्तुत किया गया, जो उपार्पण उपरांत माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेशानुसार इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त हुआ।

4. मेरे विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण पर निर्णय के चरण क्रमांक 01 अनुसार आरोप विरचित किए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करने से इंकार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन साक्ष्य पश्चात् अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण का भा.ना.सु.सं. की धारा 351(1)(ख) के तहत आरोपी परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अपने बचाव में प्रकट किया कि वे निर्दोष हैं उन्हें रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। प्रतिरक्षा का अवसर दिए जाने पर उन्होंने अपने बचाव में कोई साक्ष्य अंकित नहीं कराई।

5. **प्रकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह हैं कि :–**

1. **क्या मृतक अतुल राठौर की मृत्यु आपराधिक मानव वध स्वरूप की थी ?**

2. **क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 17.06.2014 को स्थान इंद्रजीत सिंह के खेत गुरूद्वारे के पास बायपास रोड़, निपानिया रोड़ इंदौर थाना लसुड़िया के क्षेत्रान्तर्गत समय लगभग 04:00 बजे मृतक अतुल राठौर को पत्थरों से मारकर साशय मृत्यु कारित कर हत्या की ?**

3. **क्या अभियुक्तगण ने मृतक अतुल राठौर की हत्या करने के आशय से जो कि मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय अपराध है, को करने हेतु आपराधिक षड़यंत्र किया और**

उपरोक्त आपराधिक षड़यंत्र के अंतर्गत ही मृतक अतुल राठौर की हत्या कारित की ?

4. दोषसिद्धि या दण्डादेश ?

<u>—:सकारण निष्कर्षः—</u>

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक :— 01</u>

6. इस संबंध में नरेंद्र चौधरी (अ.सा. 01) ने बताया कि उनका खेत निपानिया में है। शाम को चार बजे के लगभग जब वे घटना दिनांक को खेत पर गये थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर अज्ञात लाश पड़ी है, जिसकी आयु 40—45 वर्ष होगी, उसने जींस और लाल काली धारी वाली शर्ट पहनी थी, उसके शरीर पर चोट होकर खून बह रहा था। उसके पश्चात उन्होंने पुलिस थाना लसुड़िया पर सूचना दी थी। पुलिस के द्वारा लिखी गयी देहाती नालिसी प्रदर्श पी—01 है। पुलिस ने उनकी निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी—02, जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—03 तथा लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी—04 बनाया था।

7. उपनिरीक्षक एम.के. रघुवंशी (अ.सा. 18) ने नरेन्द्र पिता रामप्रकाश द्वारा दी गई सूचना के आधार पर देहाती मर्ग इंटीमेशन कमांक 0/14 दंड प्रकिया संहिता की धारा 174 के अंतर्गत लेखबद्ध करने के कथन करते हुए बताया कि उन्होंने घटनास्थल पर जाकर देखा तो वहां एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी आयु लगभग 40—45 वर्ष थी, उसने बदन पर नीली पेंट एवं लाल काली धारी वाली शर्ट पहनी थी, उसके सिर से खून निकल रहा था। उन्होंने घ टनास्थल का नक्शामौका नरेन्द्र की निशादेही पर तैयार किया था, जो प्रदर्श पी—02 है।

8. साक्षी ने कथन किया कि उन्होंने घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, शव के बांये तरफ पड़ा पत्थर जिस पर खून लगा हुआ था, एक पत्थर नौंकदार मृतक के सिर की तरफ पड़ा हुआ था, एक फायबर का धूप का चश्मा, जिसमें डंडी नहीं थी, एक नंबर चॉकलेटी फ्रेम का साक्षीगण के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–03 बनाया था। उनके द्वारा सफीना फार्म प्रदर्श पी–08 तैयार किया गया था। शव पंचायतनामा प्रदर्श पी–04 भी उन्हें के द्वारा बनाया गया है।

9. साक्षी ने सत्यापन किया कि उनके द्वारा एम.वाय. अस्पताल इंदौर में मृतक की लाश की शिनाख्तगी साक्षीगण शोभा पति अतुल राठौर से करवाई थी, जिसका शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–18 है। उनके द्वारा मृतक के शव परीक्षण के लिए आवेदन दिया गया था, जो प्रदर्श पी–20 है। उनके द्वारा जांच के पश्चात् संहिता की धारा 302 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था, जो प्रदर्श पी–28 है।

10. रमेश चौहान (अ.सा. 06) जो दिनांक 17.06.2014 को पुलिस थाना लसुड़िया पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे, ने कथन किया कि उपनिरीक्षक एम.के. रघुवंशी द्वारा देहाती नालसी मर्ग इंटीमेशन क्रमांक 0/14 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 की कायम की गयी थी, जिसके आधार पर उन्होंने असल मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 लेखबद्ध की थी, जिसमें अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु का लेख था।

11. ललित बेलिया (अ.सा. 03) ने अपने समक्ष लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी– 03, प्रदर्श पी– 04 तथा सफीना फार्म प्रदर्श पी–08 बनाये जाने से इंकार किया, किन्तु इन दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये।

12. नरेंद्र राठौर (अ.सा. 09) ने बताया कि जिस लाश को एम.वाय.

अस्पताल में रखा गया था, उस लाश को अतुल की पत्नी शोभा ने पहचान कर उसकी शिनाख्त की थी और यह बताया कि यह शव उनके पति अतुल राठौर का है। तत्संबंध में बनाया गया शिनाख्तगी पंचनामा उनके और विनीत राठौर के समक्ष तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी–18 है।

13. शोभा राठौर (अ.सा. 11) ने अपने कथनों की कण्डिका–10 व 11 में बताया कि दिनांक 18.06.2014 को पुलिस ने एम.वाय. अस्पताल में उन्हें उनके पति का शव दिखाया था, जिसकी पहचान कर उन्होंने बताया था कि यह शव उनके पति अतुल राठौर का है, जिसका शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–18 है।

14. मूलतः इस प्रकरण में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मृतक की पहचान को प्रश्नगत नहीं किया गया और इस तथ्य को भी चुनौती नहीं दी गयी कि घटना दिनांक को मृतक को मृत अवस्था में पाया गया था, उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी।

15. एम.वाय. अस्पताल में शिनाख्तगी के पश्चात मृतक कोअभियुक्त का मोबाइल पोस्टमार्टम किया गया, जो डॉक्टर बी.के. सिंह (अ.सा. 12) एवं डॉ. दीपक गवली (अ.सा.13) के द्वारा किया गया था। उनके द्वारा दी रिपोर्ट प्रदर्श पी–20 है।

16. इस संबंध में **डॉ. बी.के. सिंह (अ.सा. 12)** जो दिनांक 18.06.2014 को एम.वाय. अस्पताल में सहायक प्राध्यापक फोरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सीकोलॉजी विभाग में पदस्थ थे, के द्वारा मृतक अतुल राठौर का शव परीक्षण किया गया था, जिन्होंने पाया था कि मृतक सामान्य कद काठी का पुरुष था, जो कि शव परीक्षण टेबल पर चित्त अवस्था में लेटा हुआ था। मृतक ने एक शर्ट, जींस का पेंट, अण्डर वियर, बनियान तथा मौजे पहने हुए थे।

मृतक के पअभियुक्त का मोबाइलास एक रूमाल, एक नेपकीन भी था एवं उसके दाहिने हाथ में एक कड़ा एवं पूजा का धागा था तथा उसके गर्दन पर एक रूद्राक्ष की माला थी।

17. साक्षी ने बताया है कि बाह्य परीक्षण करने पर मृतक का शरीर सड़न की अवस्था में फूला हुआ था, जननांग फूले हुए थे, शरीर की चमड़ी जगह–जगह से निकल रही थी, खून की नलियों में मार्बलिंग छाती, पेट तथा दोनों भुजाओं पर पाये गये थे, जमा हुआ खून दोनों हाथ पर जगह–जगह पर पाया गया था तथा दोनों कान एवं नाक के अंदर भी पाया गया था। चेहरा फूल गया था तथा आंखे बाहर आ गयी थीं। चेहरे की हडिडयों में से पकड़ने पर क्रेक होने की आवाज आ रही थी, मृतक की आंखे बंद थीं, कार्निया हेजी था, मुंह अधखुला था, जीभ बाहर निकल रही थी, हाथ पांव सीधे थे, हायपोस्टेटीस शरीर के पीछे की तरफ था एवं फिक्स था।

18. साक्षी ने आगे बताया है कि परीक्षण के दौरान मृतक के शरीर पर निम्न चोटें पाई गईं थीं :–

1. कन्टयूजन रगड घाव 6.5 से.मी. गुणित 2.1 से.मी. का बांयी कोहनी के आगे के हिस्से पर पाया गया था।

2. कन्टयूजन रगड़ घाव 6 से.मी. गुणित 3 से.मी. आकार का दाहिनी भुजा के अंदर की तरफ के भाग पर पाया गया था।

3. क्रश फटा हुआ घाव 14 से.मी. गुणित 4 से.मी. मस्तिष्क की गहराई तक सिर के दाहिने फोरहेड तथा दाहिने पेराइटल हिस्से पर पाया गया था जो कि नेजीओन से 4 से.मी. उपर एवं मध्य से दाहिनी तरफ स्थित था। इस घाव के नीचे खोपड़ी की हडिडयों में मल्टीपल कोमुनेटेड फैक्चर पाया गया था।

4. नील घाव 10 से.मी. गुणित 8 से.मी. आकार का सिर पर दाहिने फ्रंटल

हिस्से एवं दाहिने गाल के उपर के हिस्से पर पाया गया था तथा घाव के नीचे सिर एवं चेहरे की हडिडयों में मल्टीपल कोमुनेटेड फैक्चर पाया गया था।

5. कन्टयूजन फटा हुआ घाव 5.6 से.मी. गुणित 1.6 से.मी. आकार बायें आयब्रो पर पाया गया था तथा इसके नीचे की हडडी में जो कि बायें आखं के उपरी हिस्से पर थी मल्टीपल कोमुनेटेड फैक्चर पाया गया था।

6. कन्टयूजन स्वेलिंग 4 से.मी. गुणित 5 से.मी. आकार का दाहिने गाल पर दाहिने ट्रेगस से ठीक नीचे पाया गया था।

7. कन्टयूज फटा हुआ घाव 5 से.मी. गुणित 0.6 से.मी. हडिडयों की गहराई तक सिर के दाहिने पेराइटल हिस्से पर पाया गया था।

8. एच. खून का रिसाव सिर के स्काल्प में दाहिने फ्रंटल टेम्पोरल पेराइटल तथा ओसीपिटल हिस्से पर पाया गया था।

9. दाहिनी मेडिबल की हडडी फैक्चर पायी गयी थी।

10. मृत्यु पश्चात का रगड़ घाव 2.1 से.मी. गुणित 2 से.मी. आकार का बायें पांव के आगे के हिस्से पर पाया गया था।

11. मृत्यु पश्चात का रगड़ घाव 2.1 से.मी. गुणित 1.6 से.मी. आकार का बायें पांव के अंदर के हिस्से पर पाया गया था।

12. मृत्यु पश्चात का रगड़ घाव 1.6 से.मी. गुणित 0.8 से.मी. आकार का बायें पांव के आगे के हिस्से पर पाया गया था।

13. मल्टीपल रगड़ घाव बायें पांव के पीछे की तरफ 4 से.मी. गुणित 3 से.मी. के हिस्से पर पाया गया था, जिसका आकार 2 से.मी. गुणित 0.6 से.मी. से लेकर 0.2 से.मी. गुणित 0.2 से.मी. तक था।

14. मस्तिष्क पेस्टी था तथा उसके अंदर 0.5 से.मी. से लेकर 1 से.मी. आकार का मेगेटस पाये गये थे तथा गुलाबी कलर का डिसकलरेशन जगह

जगह पाया गया था जिससे खोपड़ी के अंदर खून का रिसाब हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। खोपड़ी के नीचे के भाग में मल्टीपल कोमुनेटेड फैक्चर दोनों तरफ पाये गये थे।

19. साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मृतक का आंतरिक परीक्षण करने पर दाहिना फेंफड़ा चिपका हुआ था, बायां फेंफड़ा लालीमायुक्त था, पेट के अंदर लगभग 100 ग्राम अधपचा पेस्टी खाना था। यकृत प्लीहा एवं गुर्दे सड़न की अवस्था में थे, परन्तु आसानी से पहचान में आ रहे थे। साक्षी ने बताया है उनके अभिमतानुसार मृतक सड़न की अवस्था में था। मृतक के शरीर पर पाये गये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की मृत्यु फेसियो, क्रेनियो सेरेबरल डेमेज के कारण हुयी थी जो कि सिर एवं चेहरे पर भोंथरी वस्तु के प्रहार से तथा उसके कंटीक्वेंसस के कारण हुआ था। मृतक के सिर एवं चेहरे पर आयी चोट कठोर तथा भोंथरी वस्तु से आयी थी। प्रकृति के नैसर्गिक कोर्स में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था तथा मानव वध प्रकार की थी। मृतक की मृत्यु की डयूरेशन के बारे में सड़न के कारण स्पष्ट अभिमत देना संभव नहीं है।

20. साक्षी ने बताया है कि उनके द्वारा तैयार की गयी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–20 है जो कि कुल 08 पृष्ठ में होकर उसके पृष्ठ क्रमांक 03, 03–ए, 04, 05 व 06 के ए से ए भागों पर उनके हस्ताक्षर हैं तथा शव परीक्षण टीम में डॉ. दीपक गवली भी थे, जिनके हस्ताक्षर बी से बी भागों पर हैं। उन्होंने एक साथ कार्य किया है, इसलिए वे उनके हस्ताक्षर पहचानते हैं। इसी आशय के कथन **डॉ. दीपक गवली (अ.सा. 13)** के द्वारा किये गये हैं।

21. पोस्टमार्टम के समय मृतक के आंतरिक अंग के नमूने वैज्ञानिक परीक्षण हेतु संकलित किये गये थे, जिसके संबंध में साक्षीगण **शेर सिंह (अ.सा.**

15) व करण सिंह चौहान (अ.सा.16) को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने जप्तशुदा दो बोटल बिसरा, एक पैकेट में मृतक के कपड़े, एक शीशी नमक का घोल, दो एम.वाय. अस्पताल की सील नमूना जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–26 बनाया था।

22. डॉ. बी.के. सिंह (अ.सा. 12) व डॉ. दीपक गवली (अ.सा. 13) के प्रतिपरीक्षण में मृतक के शरीर में पायी गयी चोटें एवं मृतक की मृत्यु के कारण को चुनौती नहीं दी गयी। उनके द्वारा दिए गए अभिमत एवं साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट है कि मृतक के सिर और चेहरे पर भोंथरी वस्तु से जो प्रहार किया गया था, उन चोटों से मृतक की मृत्यु कारित हुयी थी, जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में न होकर मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त न होकर **आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आती थी।**

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक :– 02</u>

23. साक्ष्य की विवेचना किए जाने के पूर्व यह उचित प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित काला के द्वारा किए गए तर्क का उल्लेख किया जाये। उनका यह तर्क है कि अभियोजन के प्रमुख साक्षी विनीत राठौर (अ.सा. 21) के कथन घटना के 17 दिवस के पश्चात् अंकित किए गए। 17 दिवस विलंब से कथन अंकित किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। विनीत ने स्वयं अपने कथनों में यह बताया है कि उसने अभियुक्तगण के नाम का उल्लेख शंका के आधार पर किया था, इस शंका को किए जाने का उसके पास कोई कारण नहीं था। अभियुक्त ओमप्रकाश से प्रदर्श पी–15 के जप्ती पंचनामें के अनुसार एक मोबाइल फोन तथा एक बैटरी जप्त होना बताया गया है और यह कहा गया कि यह मोबाइल फोन व बैटरी मृतक की थी, किन्तु अनुसंधान के दौरान ऐसा कोई साक्षी अभिलेख पर परीक्षित नहीं कराया

गया, जिसने इस तथ्य की पुष्टि की हो कि जिस मोबाइल फोन को दो हिस्सों में अभियुक्त ओमप्रकाश की निशादेही से जप्त करना बताया जा रहा है, वह वास्तव में मृतक का था। उनका यह भी तर्क है कि यह मोबाइल फोन एक खुली हुई जगह से जप्त किया गया है। ऐसा नहीं है कि इस जगह पर एक मात्र अभियुक्त ओमप्रकाश का नियंत्रण था।

24. इस प्रकरण में उनका यह भी तर्क है कि यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन हेतुक को प्रमाणित नहीं कर सका, जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर हेतुक प्रमाणित करना अनिवार्य है। अभियोजन किसी भी ऐसे साक्षी को परीक्षित नहीं करा सका, जो अंतिम परिदृश्य को प्रमाणित कर सके। उनका तर्क है कि अभियुक्तगण के फोन का कॉल डिटेल पेश नहीं किया गया है, जो टॉवर लॉकेशन पेश की गई है, उसका कोई महत्व नहीं है। टॉवर लॉकेशन कभी भी किसी निश्चित जगह की नहीं रहती है। एक पेंट जप्त होना बताया गया है, जिस पर मानव रक्त होने की रिपोर्ट दी गई है, किन्तु इस मानव रक्त के संबंध में कोई भी डी.एन.ए. परीक्षण नहीं कराया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेकों न्यायदृष्टांत में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट दंडादेश पारित किए जाने का आधार नहीं हो सकती।

25. उन्होंने अपने तर्क समर्थन में न्यायदृष्टांत **राजाराम विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान सुप्रीम कोर्ट केसेस 2005 (क्रिमिनल) 1050, थम्माराया व अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटक 2025 (2) सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रिमिनल) 296, अशोक विरुद्ध स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश 2025 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 157, अरूण विरुद्ध स्टेट ऑफ म.प्र. 2025 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 460, अल्लारक्खा हबीब मेमोन व अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात 2025 (1) सुप्रीम**

कोर्ट केसेस (क्रिमिनल) 147, श्री कप्तानसिंह व अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश 1997 (1) जे.एल.जे. 399, काना उर्फ कन्हैयालाल विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश 2023 (1) एम.पी.एल.जे. क्रिमिनल 387, रामप्रताप विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 (2) एम.पी.एल.जे. क्रिमिनल (एस.सी.) 214, असलम उर्फ इमरान विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश 2025 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (सुप्रीम कोर्ट) 523, पंडानानाकर विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए.आई.आर. 1997 सु.को. 697, स्टेट ऑफ गुजरात विरुद्ध पटेल मोहन मुलजी 1994 क्रिमिनल लॉ जनरल 280, रणदीपसिंह उर्फ राणा व अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा 2025 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी) 9, जॉर्ज विरुद्ध स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2025 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी) 79, बाडला भीमारायडू विरुद्ध स्टेट ऑफ तेलंगाना 2025 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी) 120, अजीत सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ व स्टेशन हाउस ऑफिसर बंकीमोग्रा जिला कोरबा 2025 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी) 65, हंसराज विरुद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2025 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी) 186, विनोभाई विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला 2025 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी) 191, कुंजो मोहम्मद विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला 2004 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 1425, आकाश पिता राजू रत्नाकर विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश 2024 (1) एम.पी.एल.जे. क्रिमिनल 377, रघुनाथ विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा 2003 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 326, सुरेश कुमार झाड़िया विरुद्ध स्टेट ऑफ म.प्र. 2008 सी.आर.एल.आर. (एम.पी.) 164, विजय कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान 2014 (2) एस.सी.सी. क्रिमिनल 205, राहुल विरुद्ध स्टेट ऑफ दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर व अन्य 2023 (1) एस.सी.सी. क्रिमिनल 305, मनोज कुमार सोनी विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश 2024 (1) एम.पी.एल.जे. क्रिमिनल (एस.सी), बेबी उर्फ सबस्टियन व अन्य विरुद्ध सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एडीमेले

2016 सी.आर.एल.आर. (एस.सी) 806, हसीना बी विरुद्ध शासन 2011 (4) एम. पी.एल.जे. 140 एवं केरकट्टू मोहम्मद बसीर विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला 2025 (1) एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 344 प्रस्तुत किए हैं।

26. न्यायदृष्टांत **राजाराम विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान सुप्रीम कोर्ट केसेस 2005 (क्रिमिनल) 1050** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन में न्यायालय को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, यदि साक्ष्य के दो संभावित निष्कर्ष निकलते हों तो अभियुक्त के पक्ष वाला निष्कर्ष मान्य किया जाना चाहिए। यदि निर्दोषिता की कोई भी संभावना दृशित हो तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायदृष्टांत **थम्माराया व अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटक 2025 (2) सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रिमिनल) 296** वाले प्रकरण में अभियुक्त की निशादेही पर हुई जप्ती को दोषसिद्धि का मुख्य आधार बनाया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का यह सिद्धांत है कि दोषसिद्धि हेतु आवश्यक तथ्यों की श्रृंखला पूर्णतः सिद्ध और निर्विवादित होना चाहिए, जो अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना को स्थान न दे सके। इस प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत जप्ती पंचनामा प्रदर्शित नहीं किया गया था, जिसके कारण जप्तशुदा वस्तुओं का अभियुक्त से स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं हो सका था।

27. न्यायदृष्टांत **अशोक विरुद्ध स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश 2025 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 157** वाले प्रकरण में साक्षी क्रमांक 02 के पुलिस कथन घटना के 21 दिन बाद लिए गए थे, उसका नाम चार्जशीट में भी शामिल नहीं किया गया था। अभियुक्त से अभियुक्त कथन के अवसर पर अपराध के

संबंध में आवश्यक प्रश्न नहीं पूछे गए, चप्पल एवं अंडरवियर की बरामदगी के समय पर बनाये गए मेमोरेंडम में समय व स्थान अंकित नहीं किया गया, अभियुक्त 12 वर्ष 09 माह तक निरोध में रह चुका था, अतः मामले को प्रतिप्रेषित करने के स्थान पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। न्यायदृष्टांत **अरूण विरुद्ध स्टेट ऑफ म.प्र. 2025 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 460** वाले प्रकरण में यह विचारणीय बिन्दु था कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे अपना प्रकरण साबित कर सके हैं ? इस प्रकरण में एफ.आई.आर. में मृतक के पिता देवीसिंह ने केवल रामलाल और एक अज्ञात व्यक्ति का नाम लिखाया था, किन्तु न्यायालय में कथन देते समय सभी अभियुक्तगण के नाम और उनकी विशिष्ट भूमिका बताई गई, जो कि एक विसंगति थी। साक्षीगण के पुलिस कथन लगभग 17 दिवस के विलंब से अंकित किए गए थे। चिकित्सक की यह राय थी कि शरीर पर जो चोटें पाई गईं, वह गोली से नहीं, बल्कि धारदार हथियार से आई थी, जिससे बरामद पिस्तौल का महत्व कम हो गया था। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह संपूर्ण प्रकरण परिवार के सदस्यों की साक्ष्य पर निर्भर करता है, जो अविश्वसनीय पाई गई, अतः संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया।

28. न्यायदृष्टांत **अल्लारक्खा हबीब मेमोन व अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात 2025 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रिमिनल) 147** वाले प्रकरण में मृतक मोहम्मद साहिल की तेज धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप था, माननीय उच्च न्यायालय गुजरात के द्वारा अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 120 बी के तहत दोषी होना पाया गया था। इस

प्रकरण में अभियुक्त की पहचान सबसे पहले सीधे कठघरे में कराई गई थी, जो कानूनी प्रक्रिया के विपरीत थी। पूर्व में शिनाख्ती की परेड नहीं कराई गई थी। बरामद हथियार का घटना से कोई भी संबंध वैज्ञानिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो सका था। अभियोजन साक्षियों के कथनों में विरोधाभास और प्रक्रियात्मक कमियों का लाभ अभियुक्तगण को दिया गया और उन्हें का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया। न्यायदृष्टांत **काना उर्फ कन्हैयालाल विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश 2023 (1) एम.पी.एल.जे. क्रिमिनल 387** वाले प्रकरण में प्रकरण के अनुसंधान के दौरान चाकू को खुले स्थान से जप्त किया गया था तथा रक्त रंजित कपड़े जप्त नहीं किए गए थे। चाकू पर जो रक्त पाया गया था, उसके ग्रुप की जांच नहीं की गई थी। एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी हुई, जबकि घटनास्थल से अस्पताल एक से डेढ़ कि.मी. की दूरी पर था। मृतक को घटना के एक घंटे के पश्चात् अस्पताल ले जाया गया। मृतक को जो व्यक्ति अस्पताल लेकर आया था, उसको परीक्षित नहीं कराया गया, उसे गवाह के रूप में पेश भी नहीं किया गया। चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य में विरोधभास था। घटनास्थल पर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बिन्दु पर पृथक–पृथक गवाही थी। मृतक को मोटरसाइकिल पर अस्पताल ले जाने की बात कही गई, किन्तु उसके खून से सने हुए कपड़े जप्त नहीं किए गए। उक्त आधारों पर अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया।

29. न्यायदृष्टांत **अजीत सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ व स्टेशन हाउस ऑफिसर बंकीमोग्रा जिला कोरबा 2025 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी) 65** वाले प्रकरण में मृतक के पिता चक्षुदर्शी साक्षी नहीं थे। तीन ऐसे साक्षी परीक्षित कराये गए, जिन्होंने अभियुक्तगण को घटनास्थल से भागते हुए देखा था। अंधेरे के कारण अभियुक्तगण की पहचान सुनिश्चित नहीं हो सकी थी।

केवल एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आधार पर दोषसिद्ध करना उचित नहीं पाया गया। दोषसिद्धि को दोषमुक्ति में परिवर्तित कर दिया गया। न्यायदृष्टांत **विजय कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान 2014 (2) एस.सी.सी. क्रिमिनल 205** वाला प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण था। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिन परिस्थितियों में दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाता है, वे पूर्णतः सिद्ध होना चाहिए और निर्णायक प्रकृति की होना चाहिए, सभी परिस्थितियां पूर्ण होनी चाहिए, साक्ष्य की कोई भी कड़ी नहीं टूटनी चाहिए, जो परिस्थितियां सिद्ध हुई हैं, वे सिर्फ अभियुक्त के ही दोषी होने की ओर इंगित करती हैं और उसकी निर्दोषिता से पूर्णतः असंगत होती है, तभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति की पहचान व जप्ती की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी, जप्तशुदा संपत्ति को सीलबंद अवस्था में नहीं लाया गया था और गवाहों को पहले ही दिखाया जा चुका था। समुचित तुलनात्मक वस्तुओं की उसके साथ में पहचान नहीं कराई गई थी, पहचान चिन्हों का अभाव था, पुलिस की अनुपस्थिति में पहचान प्रक्रिया होने से वह कार्यवाही दूषित हो गई थी और फरियादी के द्वारा बताई गई घटना अविश्वसनीय हो गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपील स्वीकार की गई और अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया।

30. न्यायदृष्टांत **विनोभाई विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला 2025 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी) 191** वाले प्रकरण में अभियुक्त विनोभाई पर आरोप था कि उसने मृतक रामकृष्णन की चाकू घोंपकर हत्या की थी। अभियोजन का प्रकरण था कि दोनों के मध्य पूर्व से शत्रुता थी, अभियुक्त मृतक को अपने बड़े भाई की हत्या के लिए जिम्मेदार मानता था। विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को

दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 01 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई, जिसकी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्टि की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत केवल सूचना पर्याप्त है, जिसके आधार पर हथियार की बरामदगी हुई है, क्या इसे दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है ? क्या चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों में आये सारभूत लोप एवं विरोधाभास अभियोजन पक्ष के प्रकरण को कमजोर करते हैं ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दिए गए मेमोरेंडम को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता, इसके अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से संपुष्ट होना आवश्यक है। इस धारा के अंतर्गत fact discovered किसी ठोस भौतिक तथ्य से सीधा संबंधित होना चाहिए। साक्षीगण का आचरण अस्वाभाविक पाया गया। साक्षीगण के द्वारा घटना की पुलिस को सूचना नहीं दी गई और न ही मृतक को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। साक्षीगण के कथनों में तात्विक विरोधाभास पाया गया। अपील स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया।

31. न्यायदृष्टांत **आकाश पिता राजू रत्नाकर विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश 2024 (1) एम.पी.एल.जे. क्रिमिनल 377** वाले प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के संबंध में यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित किए जाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इस प्रकार का प्रमाण पत्र अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए और अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही जारी किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में पुलिस ने सीसीटीव्ही फुटेज अपने फोन में रिकॉर्ड की थी,

वास्तविक फुटेज की कोई डीवीडी/सीडी नहीं बनाई गई थी, मोबाइल का सीडीआर गवाह के द्वारा साबित नहीं किया गया था। धारा 65बी का प्रमाण पत्र केवल संबंधित उपकरण का परिचालन एवं संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन से जुड़े उत्तरादायी अधिकारी द्वारा ही जारी किया जा सकता है। उप निरीक्षक के द्वारा तैयार की गई डीवीडी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं मानी गई।

32. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वार अत्यधिक मात्रा में न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं, प्रत्येक न्यायदृष्टांत का विस्तार से विश्लेषण किया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त समस्त न्यायदृष्टांतों में से कुछ महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांतों का उल्लेख किया गया है।

33. विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री योगेश जायसवाल के द्वारा उक्त न्यायदृष्टांतों के खंडन में यह तर्क किया गया कि उनके द्वारा अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया है, ऐसी स्थिति में उन्हें किसी भी न्यायदृष्टांत को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका तर्क है कि उन्होंने परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रत्येक कड़ी को साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर जोड़ा है, अतः किसी भी स्थिति में दोषमुक्ति का कोई आधार नहीं है।

34. सर्वप्रथम यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि यह घ ाटना एकांत में घटित हुयी थी, इस घटना को घटित होते हुए किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा गया था, अतः स्पष्ट है कि इस घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। मृतक अंतिम बार अपने घर से रवाना हुआ उसके पश्चात् उसकी लाश को नरेंद्र चौधरी (अ.सा. 01) के द्वारा खेत में पड़ा हुआ पाया गया था, अर्थात स्पष्ट है कि इस संपूर्ण घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी न होने के कारण यह घटना परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करती है।

35. कई बार ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होती हैं जब घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध न हो या प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया जाता है तब किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोलती हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि जिन परिस्थितियों में दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता है वह इप्सित हो व तर्कपूर्ण और ठोस रूप से साबित हो और उनको सकल रूप में लिये जाने पर उनसे इतनी पूर्ण श्रृंखला गठित हो कि समस्त मानवीय संभावनाओं में अपराध अभियुक्त द्वारा किया जाना ही निष्कर्षित हो, ऐसी साक्ष्य निश्चित प्रकृति की और पूर्ण हो, जो अभियुक्त के दोष से संगत नहीं, वरन उसकी निर्दोषिता से असंगत भी होनी चाहिए। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत शरद वीरदीचंद विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर. 1984, न्यायदृष्टांत पांडुरंग मोहिते ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 1066** अवलोकनीय है।

36. यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, इस प्रकरण में प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः पारिस्थितिक साक्ष्य का अवलंबन लिया गया है। पारिस्थितिक साक्ष्य के विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हनुमंत गोविंद नारगुड़कर विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1952 सु.को. 1622** में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषिता के विनिश्चिय के संबंध में निम्नलिखित कसौटियां प्रतिपादित की गई हैं –

01. जिन परिस्थितियों से दोषिता के बारे में निष्कर्ष निकाला जाना हो, उन्हें विश्वस्त रूप से और दृढ़ता से साबित किया जाना चाहिए,

02. उन परिस्थितियों की, अभियुक्त की दोषिता, की

और इंगित करने की निश्चित प्रवृत्ति होना चाहिए,

03. यदि उन परिस्थितियों को संयुक्ततः लिया जाये तो उनकी ऐसी पूर्ण संख्या बन जाये कि इस निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़े कि सभी मानव अभिसंभाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त द्वारा ही अपराध किया गया था और किसी के द्वारा नहीं, और

04. दोषसिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पूर्ण हो, और

05. अभियुक्त की दोषिता के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना से उसका स्पष्टीकरण न हो सके और ऐसी साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता से केवल संसुगत ही न हो, बल्कि उसके निर्दोषिता से असंगत भी हो।

37. उक्त न्यायदृष्टांतों में प्रदान मार्गदर्शन के आधार पर सर्वप्रथम अंतिम परिदृश्य पर विचार किया जाना है।

38. **अंतिम परिदृश्य :—** इस संबंध में सर्वोत्तम साक्षी मृतक की पत्नी है, जिसके द्वारा मृतक के घर से जाने के पश्चात उसकी कोई सूचना न मिल पाने के कारण गुमशुदगी की रिपोर्ट प्रदर्श पी—19 लेख करायी गयी थी। प्रदर्श पी—19 की रिपोर्ट सहायक उप निरीक्षक जगदीशचंद्र (अ.सा.10) के द्वारा लेख की गयी थी।

39. उपनिरीक्षक जगदीशचंद्र (अ.सा. 10) ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाये जाने की पुष्टि की है, जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 17.06.2014 को जब मृतक अतुल राठौर अपने घर पर नहीं लौटा था, तब उनकी पत्नी के द्वारा थाने पर इस संबंध में सूचना दी गयी थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट प्रदर्श पी—19

से यह प्रमाणित है कि दिनांक 16.06.2014 को अपने घर से जाने के पश्चात मृतक अपने घर वापस नहीं लौटा था।

40. शोभा राठौर (अ.सा. 11) ने घटना का समर्थन करते हुए बताया कि अतुल राठौर उनके पति थे। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण ओमप्रकाश, रवि व प्रदीप को पहचानते हुए बताया कि वे इन तीनों ही अभियुक्तगण को नाम से तथा चेहरे से भी पहचानती हैं। उनके पति कृषि कार्य करते थे। दिनांक 16.06.2014 को शाम 06:00 बजे अभियुक्त रवि उनके पति को लेने मोटर साइकिल से आया था। उसने उनके पति से कहा कि देवास में आर.ओ. मशीन सुधारने के लिए चलना है। उन्होंने रवि से कहा कि अब शाम हो गयी है और रात होने वाली है, अब मशीन सुधारने कहां जाएंगे, इस पर रवि ने कहा कि मशीन वाले ने शाम को ही मशीन सुधारने के लिए बुलाया है। साक्षी ने बताया कि उनके मना करने के पश्चात भी उनके पति रवि के साथ चले गये। उसके पति के पास दो सिम का मोबाइल फोन था, जिसमें लगी सिम के नंबर 9977887620 एवं 9407267857 है। लगभग 08:00 बजे उन्होंने अपने पति के मोबाइल पर फोन लगाया, जिसकी घण्टी बजती रही, किन्तु उनके पति ने उसे नहीं उठाया। उन्होंने दो बार और फोन लगाया, तब तीसरी बार लगाया तो फोन स्विच ऑफ हो गया था। इसके पश्चात उन्होंने रात में ही रवि के मोबाइल पर दो बार फोन लगाया, दोनों बार घण्टी गयी, तीसरी बार में रवि का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। वे रात में ही अपने मकान मालिक शंकर सिंह चौहान के पास गयी और उन्हें पूरी बात बतायी कि उनके पति रवि के साथ मशीन सुधारने के लिए देवास गये हैं और अभी तक नहीं लौटे और उनका फोन स्विच ऑफ है।

41. साक्षी ने सत्यापन किया कि इसके पश्चात शंकर सिंह चौहान ने भी उनके पति के नंबर पर फोन लगाया, किन्तु वह बंद आ रहा था। शंकर सिंह चौहान ने उनसे कहा कि अब रात हो गयी है, रात में कहां जाएंगे, सुबह देखते हैं। अगले दिन दिनांक 17.06.2014 को जब उनके पति घर नहीं लौटे तो उन्होंने अपने भतीजे विनीत राठौर को फोन लगाकर सारी बात बतायी। इस पर विनीत भोपाल से लगभग एक–दो बजे के आसपास घर आये। उन्होंने विनीत को रवि के दोनों भाइयों के नंबर दिये और उनके बारे में बताया। फिर विनीत ने रवि के दोनों भाइयों को बुलाया और उनके साथ विजय नगर थाने पर गये और वहां पर गुमशुदा की रिपोर्ट प्रदर्श पी–19 लेखबद्ध करायी गयी। थाने पर ही पुलिस ने उन्हें एक लाश का फोटो दिखाया था, जिसे देखकर उन्होंने पहचान लिया था कि यह लाश उनके पति अतुल राठौड़ की है।

42. अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया कि मशीन सुधारने के काम से कई बार उनके पति रवि के साथ जाते थे, कई बार अकेले भी जाते थे। इस घटना के पूर्व भी रवि एक–दो बार उनके पति को मशीन सुधारने के लिए अपने साथ लेकर गये थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पति के रवि के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, कभी किसी भी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ है। उनके पति की रवि के साथ पूर्व से कोई भी रंजिश नहीं थी।

43. विनीत (अ.सा. 21) ने संपूर्ण घटना का समर्थन करते हुए सत्यापन किया कि वे अभियुक्तगण प्रदीप व ओमप्रकाश को जानते हैं। मृतक अतुल राठौर उनके मौसाजी थे, जिनकी हत्या हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जून, 2014 में लाश का शिनाख्तगी पंचनामा उनके समक्ष अतुल राठौर की पति शोभा राठौर से करायी गयी थी। उस अज्ञात लाश की पहचान अतुल राठौर के रूप में की गयी थी। घटना दिनांक को सुबह–सुबह उनकी मौसी शोभा का

उनके पास फोन आया था कि मौसाजी शाम से घर नहीं आये हैं। उन्होंने उनसे पूछा था कि वे कहां गये हैं तो उन्होंने बताया था कि अपने मित्र रवि के साथ वाटर प्यूरीफायर की मशीन सुधारने के लिए गये थे।

44. साक्षी ने सत्यापन किया कि अपने मौसी के घर पहुंचने के पश्चात उन्होंने रवि के भाई को अपनी मौसी के घर पर बुलाया और उन्होंने रवि के बारे में उनसे जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि उनका भाई विगत रात्रि को ही 08:00 बजे अपनी पत्नी को मायके लेकर गया है। इस जानकारी पर उन्हें संदेह हुआ तब वे रवि के भाई तथा अपनी मौसी के साथ थाना विजय नगर पहुंचे। उनकी मौसी के द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनके मौसाजी अतुल राठौर एक दिन पहले ही शाम को रवि के साथ निकले थे। पुलिस ने उनके द्वारा रवि और उनकी पत्नी के मोबाइल नंबर के आधार पर वास्तविक लोकेशन का पता लगाया था। पुलिस के द्वारा ही लाश का फोटो उन्हें दिखाया था जो उनके मौसाजी की थी।

45. साक्षी ने स्वीकार किया कि दिनांक 17.06.2014 को सुबह 07–08 बजे के लगभग उनकी मौसी का फोन उनके पास आया था और बताया था कि रवि के साथ अतुल राठौर मशीन सुधारने के लिए देवास गये हैं। इस सूचना पर वे फोन भोपाल से इंदौर आये थे और उन्होंने अतुल के संबंध में रवि के भाई गौरीशंकर से पूछताछ की थी। पुलिस ने गौरीशंकर को पूछताछ के लिए बैठा लिया था, तब रवि की पत्नी को फोन लगाया तो रवि की पत्नी ने बताया कि प्रदीप और ओमप्रकाश और रवि आपस में मित्र हैं, तब उन्हें शंका हुआ, क्योंकि उनका आपस में जमीन का विवाद चल रहा था।

46. अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उन्होंने दिनांक 17.06.2014 को पहली बार पुलिस को बयान दिया था। पुलिस ने शोभा से

पूछा था कि उन्हें अतुल की हत्या के संबंध में किसी पर शक है तो शोभा ने बताया कि अभियुक्त रवि व प्रदीप पर शंका है। उन्होंने स्वीकार किया कि अभियुक्त ओमप्रकाश को उनके मौसाजी ने पांच एकड़ जमीन किराये पर दे रखी थी, किन्तु ओमप्रकाश फसल का किराया नहीं देते थे।

47. वह रात्रि में ही मकान मालिक शंकर सिंह चौहान के पास गयी थी तो उसने शंकर सिंह को बताया था कि उसके पति घर नहीं लौटे हैं, किन्तु शंकर सिंह (अ.सा. 05) को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। उन्होंने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया कि घटना की रात्रि शोभा उनके घर गयी थी तथा उसने बताया था कि उनके पति को रवि मोटर साइकिल पर बैठाकर अपने साथ देवास लेकर गया है, किन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया कि शोभा राठौर और अतुल राठौर उनके किरायेदार थे। इस तथ्य से यह प्रमाणित है कि शोभा यह कथन सही कह रही है कि वह घटना की रात्रि को अपने मकान मालिक के पाास गयी थी और उनसे कहा था कि उसके पति घर नहीं लौटे। इस साक्षी के पक्ष विरोधी होने का कारण यह दर्शित है कि इस तथ्य की प्रबल संभावना है कि साक्षी को पश्चातवर्ती प्रक्रम पर प्रभावित कर लिया गया है। यह भी संभव है कि साक्षी भयभीत हो गया हो कि यदि वह अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में कथन देता है तो इसका प्रभाव उसके परिवार की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है, इन्हीं कारण से शंकर सिंह (अ.सा. 05) पक्ष विरोधी रहा है।

48. शंकर सिंह के पक्ष विरोधी रहने का कोई भी विपरीत प्रभाव प्रकरण पर नहीं पड़ता है, क्योंकि शोभा (अ.सा. 11) के द्वारा घटना के दूसरे ही दिन थाने पर जाकर अपने पति के साथ गुम हो जाने की सूचना अंकित करायी गयी है और यह बताया गया कि उनके पति को रवि घर से मोटर

साइकिल पर लेकर गया था।

49. इस प्रकरण में शोभा (अ.सा. 11) जो मृतक की पत्नी है, ने स्पष्ट रूप से बताया कि घटना दिनांक की रात्रि में रवि उनके घर पर आया और वाटर प्यूरीफायर सुधारने का कहकर उनके पति को अपनी साथ देवास लेकर आया। उसके पश्चात मृतक को किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य स्थान पर नहीं देखा गया, अतः स्पष्ट है कि **अंतिम बार मृतक को उसकी पत्नी शोभा के द्वारा अभियुक्त रविशंकर के साथ देखा गया है।**

50. अंतिम परिदृश्य के अंतर्गत यह प्रमाणित है कि **रविशंकर वाटर प्यूरीफायर ठीक करने के बहाने से मृतक को उसके घर से लेकर गया था, उसके साथ अंतिम बार पश्चात् मृतक का किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ है।**

हेतुक :–

51. माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत **अमिताभ बनर्जी विरुद्ध स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ए.आई.आर.2011 एस.सी. 2913** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

Motive for the commission of an offence no doubt assumes greater inportance in cases resting on circumstantial evidence than those in which direct evidence regarding commission of the offence is available. And yet failure to prove motive in case resting on circumstantial evidence is not fatal by itself. All that the absence of motive for the commission of the offence results in is that the court shall have to be more careful and circumspect in scrutinizing the evidence to ensure that suspicion does not take the place of proof while finding the accused guilty.

52. हेतुक के घटना के समय एकाएक भी उत्पन्न हो सकता है, इस संबंध में न्यायालय का अभिमत न्यायदृष्टांत **सददीक विरुद्ध गुजरात राज्य (2016) 10 एस.सी.सी. 663** एवं न्यायदृष्टांत **विपिन कुमार मोण्डल विरुद्ध पश्चिम बंगला राज्य (2010) 12 एस.सी.सी. 91** के अंतर्गत प्रतिपादित न्यायमत पर आधारित है। इन न्यायदृष्टांतों के आलोक में अभिलेख पर आयी साक्ष्य का सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण आवश्यक है।

53. सर्वप्रथम यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि ऐसा कोई आज्ञापक प्रावधान नहीं है कि हत्या के प्रकरण में यदि हेतुक प्रमाणित न हो तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी टूट जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनेक प्रकरणों में यह उल्लेख किया गया है कि हेतुक प्रमाणित करना कठिन है। कई मामलों में हेतुक स्पष्ट रूप से दर्शित होता है और कई प्रकरणों में हेतुक को प्रमाणित कर पाना संभव नहीं होता है। वास्तविकता में हेतुक एक मानसिक दशा है जो प्रमाणित हो भी सकती है और नहीं भी।

54. इस प्रकरण में विद्वान अभियोजन अधिकारी का यह तर्क है कि हेतुक के संबंध में इस प्रकरण में स्थिति अत्यंत ही स्पष्ट है। मृतक तथा ओमप्रकाश सगे भाई थे। अभियुक्त प्रदीप, ओमप्रकाश का पुत्र का है। मृतक के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी कृषि भूमि ओमप्रकाश को कृषि कार्य हेतु दे रखी थी और यह शर्त अधिरोपित की थी कि बटाई की जो भी राशि होती है वह उसे प्रदान की जाएगी, किन्तु अभियुक्त ओमप्रकाश बटाई की राशि उसे प्रदान नहीं करते थे। इसी विषय पर दोनों का आपस में विवाद था।

55. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियोजन अधिकारी यह संपूर्ण हेतुक कल्पना के आधार पर बता रहे हैं। ऐसा कोई तथ्य इस प्रकरण में प्रमाणित नहीं हुआ है। यदि ऐसा कोई हेतुक होता तो मृतक की

पत्नी ऐसे कथन करती। मृतक की पत्नी के स्थान पर उनकी पत्नी का भतीजा विनीत राठौर के द्वार हेतुक बताया गया, जो विश्वसनीय नहीं है। स्वतंत्र साक्षीगण ने इस प्रकरण के अनुसंधान के अंतर्गत की गयी किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। संपूर्ण प्रकरण में या तो पुलिस अधिकारियों के द्वारा अपनी कार्यवाही को प्रमाणित किया गया है या मृतक की पत्नी और विनीत राठौर (अ.सा.21) के द्वारा घटना बतायी है। उनका तर्क है कि हेतुक प्रमाणित न होने की दशा में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी टूटी हुई मानी जावेगी।

56. यह सही है कि हेतुक एक व्यक्ति की मानसिक दशा है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति की मानसिक दशा को अभियोजन पूर्णरूपेण प्रमाणित कर सके, किन्तु यदि अभियोजन उनकी मानसिक दशा उस ओर इंगित करने वाले तथ्यों को भी प्रमाणित कर देता है तो यह हेतुक के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकरण में मृतक अपने घर से अपने मित्र रवि के साथ निकला था। रवि उसे देवास ले जाने का कहते हुए साथ में लेकर गया था। उसके पश्चात वह कभी घर नहीं लौटा। अभियोजन को यह प्रमाणित करना है कि इस अपराध का षड़यंत्र मूलतः मृतक के भाई के द्वारा रचा गया है। इस संबंध में अभिलेख पर मात्र दो ही साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, जिसमें से मृतक की पत्नी अंतिम परिदृश्य को प्रमाणित करती है और वह यह बताती है कि मृतक को मृत्यु के पूर्व अंतिम बार रवि के साथ देखा गया था। रवि उसे आकर घर से लेकर गया था, किन्तु ओमप्रकाश तथा प्रदीप के संबंध में विनीत राठौर (अ.सा. 21) के कथन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण की कण्डिका–04 में बताया है कि उनके मौसाजी अतुल राठौर के चार भाई थे, जिसमें से सबसे बड़े लक्ष्मीनारायण, उनके बार ओमप्रकाश, उनके बाद अतुल व अशोक हैं। यह लोग तहसील टिमरनी जिला हरदा के रहने वाले थे। उनकी

मौसी का विवाह बीस वर्ष पूर्व मृतक अतुल के साथ हुआ था, जिनकी कोई संतान नहीं थी।

57. साक्षी ने कथन किए कि जब वे दोनों पति–पत्नी उपचार के लिए इंदौर आये तो वे पांच एकड़ जमीन किराये पर ओमप्रकाश को देकर आये थे। ओमप्रकाश फसल का किराया अतुल को नहीं दे रहे थे और आनाकानी कर रहे थे। चूंकि अतुल की कोई संतान नहीं थी इसलिए न तो वे जमीन अतुल को देना चाहते थे और ना ही उसका किराया। वे कहते थे कि उनकी संतान नहीं है तो वे रुपये का क्या करेंगे।

58. अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया कि उक्त समस्त तथ्य उन्हें उनकी मौसी के द्वारा बताये गये थे, तब उन्हें ज्ञात हुए। उन्होंने इस सुझाव से इंकार किया कि उनकी मौसी, अतुल तथा अभियुक्तगण प्रदीप और ओमप्रकाश का जमीन को लेकर विवाद नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने शंका के आधार पर पुलिस को प्रदीप और ओमप्रकाश का नाम बताया था। अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–10 में साक्षी ने स्पष्ट रूप से बताया कि इस विवाद की जानकारी उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं थी। यह जानकारी उनकी मौसी ने उन्हें दी थी।

59. सविता (अ.सा. 22) जो अभियुक्त रविशंकर की पत्नी है, ने बताया कि प्रदीप राठौर व उनके पिता ओमप्रकाश राठौर दिनांक 15.06.2014 के दिन में 04:00 बजे उनके सुंदर नगर एक्सटेंशन वाले घर पर आये थे और रात भर उनके घर पर रूके थे। उसी दिन रात में उन्होंने उनके पति रविशंकर के साथ प्रदीप और ओमप्रकाश ने शराब पी थी। साक्षी ने बताया कि उन्होंने अपने पति को शराब पीने से मना किया था, किन्तु उनके पति ने उन्हें दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। दूसरे दिन भी वे 02:00 बजे तक घर पर ही थे।

दो बजे के लगभग ये तीनों बाइक से उनके घर से निकले थे। उसके पश्चात इन लोगों ने क्या किया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। शाम को उनके पति का फोन आया था। उनके पति ने उनसे कहा कि गांव अर्जेंट चलना है, उनके पिताजी की तबीयत खराब थी, इसलिए वे गांव चले गये थे। उनके पति शाम 08:00 बजे घर आये थे और वे दोनों मोटर साइकिल से गांव निकल गये थे। उनके पति ने स्नेह (अ.सा. 02) के मोबाइल पर फोन किया था। स्नेह ने उनके पति से उनकी बात करायी थी, वे लोग माण्डवी चले गये थे।

60. अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि घटना के पश्चात उन्हें पहली बार पुलिस ने थाने पर बुलाया था, तभी उनके बयान लिये थे। जिस दिन वे अपने पति के साथ गांव गयी थी, उसके एक दिन पश्चात् ही पुलिस ने उन्हें बुलाया था। अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–05 में साक्षी ने स्वीकार किया कि उनके पति के द्वारा उन्हें कमरे में बंद किये जाने के पश्चात बाहर क्या हुआ था, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। साक्षी ने बताया था कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि उनके पति प्रदीप और ओमप्रकाश के साथ में थे या अलग अलग चले गये थे। अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–05 में साक्षी ने कहा कि वे प्रदीप और ओमप्रकाश को नहीं जानते हैं। पुलिस ने बताया था कि ये प्रदीप और ओमप्रकाश हैं, इस अनुसार वे यह बता रही हैं। स्नेह अग्रवाल (अ. सा. 02) पूर्णतः पक्षविरोधी साक्षी है, जिसने पुलिस को प्रदर्श पी–07 का कथन देने से इंकार किया एवं अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया।

61. जैसा कि पूर्व में लिखा चुका है यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधरित है और ऐसी स्थिति में हेतुक महत्वपूर्ण है। न्यायदृष्टांत **स्टेट ऑफ राजस्थान विरुद्ध अर्जुन सिंह एवं अन्य ए.आई.आर.2011 एस.सी.3380** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हेतुक एक

ऐसा भाव है जो व्यक्ति को विशिष्ट कृत्य करने हेतु प्रेरित करता है, किन्तु यह आंतरिक भाव होने से किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क में जाकर इसे देख पाना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इस प्रकरण में मृतक तथा अभियुक्त ओमप्रकाश सगे भाई हैं, अभियुक्त प्रदीप, ओमप्रकाश का पुत्र है। मृतक की पत्नी शोभा (अ.सा. 11) के कथनों से स्पष्ट है कि घटना दिनांक को ये तीनों एक साथ अभियुक्त रवि के घर पर थे तथा आपस में विवाद भी कर रहे थे और वे शराब भी पी रहे थे, वे तीनों एक साथ थे। इसी दिनांक को रवि, मृतक के घर जाकर मृतक को साथ लेकर आया था, तत्पश्चात् मृतक की लाश मिली। मृतक अतुल की रवि से कोई दुश्मनी नहीं थी, किन्तु रविशंकर, ओमप्रकाश तथा प्रदीप का सहयोग करना चाहता था, इस सहयोग हेतु वह असत्य कथन कर अतुल को रात्रि में अपने साथ लेकर आया था, तत्पश्चात् अतुल की हत्या की गई थी। ओमप्रकाश तथा प्रदीप का जमीन की बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण उनकी आपस में बातचीत भी नहीं होती थी। इससे यह स्पष्ट है कि इस हेतुक के कारण हत्या की गई, अन्य कोई विवाद नहीं था। इस प्रकार अभियोजन हत्या का हेतुक प्रमाणित करने में भी सफल रहा है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03:–

62. अब इस प्रकरण में की गयी जप्ती तथा मेमोरेण्डम की साक्ष्य का विश्लेषण भी आवश्यक है, जो अपराध के प्रमाणन के संबंध में महत्वपूर्ण है।

63. इस संबंध में अभियोजन के द्वारा **स्वप्निल (अ.सा. 04)**, **शिवमोहन (अ.सा. 07)**, **अनिल दायमा (अ.सा. 08)**, **सुनील (अ.सा. 20) व आनंद पाण्डेय (अ.सा. 24)** को परीक्षित कराया गया है। यह सभी साक्षी जप्ती तथा मेमोरेण्डम के संबंध में पूर्णतः पक्ष विरोधी हैं, किन्तु उक्त समस्त साक्षीगण ने संबंधित जप्ती, मेमोरेण्डम तथा गिरफ्तारी पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

इस संबंध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि यदि एकमात्र पुलिस अधिकारी के कथनों के आधार पर न्यायालय हत्या जैसे गंभीर मामले में दण्डादेश पारित करेगी तो यह अभियुक्तगण के साथ अन्याय होगा। उनका निवेदन है कि पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही यदि महत्वपूर्ण होती तो ऐसी कार्यवाहियों में स्वतंत्र साक्षीगण को पंच साक्षी बनाये जाने का प्रावधान नहीं होता।

64. विद्वान अभियोजन अधिकारी के द्वारा उक्त तर्क का खण्डन किया गया। उनका तर्क है कि स्वतंत्र साक्षीगण के पक्ष विरोधी होने के आधार पर यदि हत्या जैसे गंभीर प्रकरणों में अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया जाता है तो यह मृतक तथा समाज के लिए अत्यंत घातक है।

65. उक्त तर्क के आलोक में यह स्थिति पूर्णतः स्पष्ट है कि इस प्रकरण में गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम तथा जप्ती के किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया, किन्तु उनके द्वारा इन कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है। यह सही है कि स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा घटना का समर्थन न करने की दशा में अभिलेख पर मात्र पुलिस अधिकारी के कथन हैं, जिन्होंने अभियुक्तगण द्वारा दिये गये मेमोरेण्डम, जप्ती तथा गिरफ्तारी की कार्यवाही को अपने कथनों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित किया है। सर्वप्रथम यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि यह कार्यवाही पुलिस अधिकारी के द्वारा की गयी है एवं इसका समर्थन ही साक्षी के द्वारा नहीं किया गया।

66. यह सही है कि प्रकरण की समस्त कार्यवाही में पुलिस आरक्षक, प्रधान आरक्षक तथा अन्य पुलिस कर्मियों को साक्षी बनाया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर उनकी साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि वे पुलिस कर्मी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायदृष्टांत **करमजीत सिंह विरुद्ध स्टेट (2003) 5 एस.सी.सी.291** में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य को भी सामान्य साक्षी की तरह लेना चाहिए। यह उपधारणा कि कर्मचारी ईनामदारी से काम करता है, पुलिस कर्मी के मामले में भी लागू होती है। विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति के अभाव में पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **स्टेट ऑफ असम विरुद्ध मोहिनी वरकाताकि ए.आई.आर.1987 एस.सी.198,** न्यायदृष्टांत **बाबूलाल विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.–2004(2) जे.एल.एल. 427** अवलोकनीय है। अभियुक्तगण के साथ अनुसंधान अधिकारी एवं अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण के किसी तरह से कोई बुरायी या रंजिश होना अभिलेख पर दर्शित नहीं होता है और ना ही इस संबंध में अभियुक्तगण का कोई अभिवाक है, अतः पुलिस कर्मचारी/अधिकारी के समक्ष की गयी किसी भी कार्यवाही को अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **योगेश भाई पी भट्ट विरुद्ध गुजरात राज्य ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2238 एवं तूफानसिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य 2005 (भाग–01) एम.पी.एल.जे. 412** अवलोकनीय है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षविरोधी साक्षी की साक्ष्य का ऐसा भाग, जो अभियोजन मामले का समर्थन करता हो और उसकी पुष्टि अन्य साक्ष्य से होती हो, पर विश्वास किया जा सकता है।

67. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति

के ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है जिस मामले में हस्तक्षेप करने से उसका अपना परिवार असुरक्षित हो सकता है। कोई भी व्यक्ति बार बार न्यायालय में उपस्थित होना, पुलिस थाने जाना तथा कथन देने, इन सभी कार्यवाही से बचना चाहता है। ऐसी स्थिति में अधिकतम प्रकरणों में पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त कोई भी सामान्य व्यक्ति घटना का समर्थन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है, पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही संपूर्ण कार्यवाही को अविश्वसनीय मानते हुए निरस्त नहीं किया जा सकता।

68. इस प्रकरण का अनुसंधान मुख्यतः उप निरीक्षक **युवराज सिंह (अ.सा. 17)** के द्वारा किया गया है, जो घटना के समय आरक्षी केंद्र लसुड़िया पर पदस्थ थे। उन्होंने दिनांक 29.06.2014 को अभियुक्त प्रदीप तथा ओमप्रकाश को गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–05 व प्रदर्श पी–06 से गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की थी। दिनांक 30.06.2014 को अभियुक्त प्रदीप से पूछताछ करने पर उसने मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी–47/6818 अपने घर के बरामदे में छिपाकर रखना बताया था, इस जानकारी के आधार पर उनके द्वारा प्रदर्श पी–09 का मेमोरेण्डम बनाया गया था। दिनांक 30.06.2014 को उनके द्वारा ओमप्रकाश से पूछताछ की गयी थी। ओमप्रकाश ने सफेद रंग का मोबाइल फोन झाडियों में फेंकना बताया था, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–10 है। दिनांक 01.07.2014 को प्रदीप राठौर से पूछताछ करने पर उसने पहने हुए कपड़े अलमारी में छिपाकर रखने की जानकारी दी थी, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–13 है। इसी दिनांक को ओमप्रकाश ने घटना के समय पहने हुंए कपड़े अलमारी में छिपाकर रखने की जानकारी प्रदर्श पी–14 के मेमोरेण्डम में दी थी।

69. साक्ष्ज्ञी ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 01.07.2014 को ही अभियुक्त ओमप्रकाश के द्वारा स्वतंत्र साक्षीगण के समक्ष झाड़ियों से निकालकर सफेद रंग का माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल, एक माइक्रोमैक्स कंपनी की बैटरी जप्त करायी थी, जिसका जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–17 है। दिनांक 01.07. 2014 को ही अभियुक्त ओमप्रकाश तथा प्रदीप के द्वारा घटना दिनांक को पहने हुए कपड़े निकालकर जप्त कराये थे, जिसका जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–16 व प्रदर्श पी–17 हैं। मोबाइल फोन आर्टिकल ए–01 तथा उसकी बैटरी आर्टिकल ए–02 है, जिसे प्रदर्श पी–27 के अंतर्गत जप्ती चिट लगाकर रखा गया था।

70. साक्षी के प्रतिपरीक्षण में जप्ती, गिरफ्तारी तथा मेमोरेण्डम की कार्यवाही को चुनौती दी गयी है, किन्तु उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं आया, जिससे उनके द्वारा की गयी कार्यवाही को विश्वसनीय नहीं माना जा सके।

71. **ओमकार सिंह भदौरिया (अ.सा. 19)** जो घटना के समय थाना लसुड़िया पर उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे, ने कथन किया कि इस प्रकरण के अनुसंधान के दौरान उनके द्वारा साक्षी शंकर पिता रामेश्वर के कथन प्रदर्श पी–11 लेखबद्ध किये गये थे। दिनांक 25.09.2014 को नोडल अधिकारी आइडिया कंपनी को मोबाइल नंबर 9977887620, 73546892063 व 9977711185 की कॉल डिटेल के लिए पत्र लिखा था, जो प्रदर्श पी–21 है। दिनांक 29.12.2014 को उन्होंने अभियुक्त रवि को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–29 बनाया था। अभियुक्त रवि के द्वारा मोबाइल फोन घर से बरामद कराने की जानकारी दी गयी थी, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–30 है। उन्होंने अभियुक्त के बताये अनुसार उसके घर से एक मोटर साइकिल डिस्कवर

एम.पी– 09 एन.जेड. 5028, मोटर साइकिल की चाबी, एक स्लेटी रंग का शर्ट, जिसमें पिंक कलर की लाइनिंग थी, एक हल्के कलर का पेंट, जिस पर waisi लिखा था। 1000/–रुपये के पांच नोट, कुल 5000/–रुपये एक माइक्रोमैक्स कंपनी का लाल रंग का मोबाइल जिसका मॉडल नंबर एक्स264 जिसका आई.एम.ई.आई. नंबर 911327457686702 है, जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–31 बनाया था।

72. साक्षी ने सत्यापन किया कि दिनांक 26.01.2015 को उन्होंने साक्षी कविता का कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 30.12.2014 को अभियुक्त रविशंकर पिता लक्ष्मीनारायण द्वारा 25,000/–रुपये, मोटर साइकिल, कपड़े एवं 25,000/–रुपये में से बची राशि बरामद कराने की जानकारी दी थी, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–32 है। उनके द्वारा रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी–32 लगायत प्रदर्श पी–35 प्रस्तुत किया गया है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई विरोधाभासी तथ्य नहीं आया, जिससे उनके द्वारा की गयी कार्यवाही शंकास्पद होकर अविश्वसनीय हो जाए।

73. जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा यदि निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य पर इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता कि उस कार्य का समर्थन स्वतंत्र साक्षी के द्वारा नहीं किया गया है।

74. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि इस प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे मृतक का ओमप्रकाश व प्रदीप के साथ संबंध स्थापित हो सके। उनके अपराध में शामिल होने की कोई भी साक्ष्य पेश व प्रमाणित नहीं की गई है। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी युवराज सिंह (अ.सा. 17) है, जिन्होंने बताया कि अभियुक्त

ओमप्रकाश को अभिरक्षा में लिये जाने के पश्चात जब उन्होंने ओमप्रकाश से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने मृतक के मोबाइल फोन को तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया था। जब पुलिस उन्हें अभिरक्षा में लेने के पश्चात बताये गए स्थान पर लेकर गयी तो उसने झाड़ियों में से मृतक का मोबाइल फोन आर्टिकल–ए तथा उसकी बैटरी आर्टिकल–बी जप्त करायी थी।

75. यह सही है कि मोबाइल फोन की जप्ती तथा मेमोरेण्डम के स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी समक्ष ऐसी किसी भी कार्यवाही को किये जाने का समर्थन नहीं किया है, किन्तु उन्होंने उन दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अनुसंधान अधिकारी युवराज सिंह (अ.सा. 17) के द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश से पूछताछ किये जाने के पश्चात ओमप्रकाश के द्वारा जिस स्थान पर मोबाइल फोन तथा बैटरी फेंकना बताया गया था, उस स्थान से ही निकालकर पेश किये जाने पर मृतक का मोबाइल फोन तथा बैटरी जप्त किया गया है। यदि अभियुक्त की यह प्रतिरक्षा है कि यह मोबाइल फोन उसके द्वारा उस स्थान पर नहीं छिपाया गया था, जिस स्थान से उसे जप्त किया गया है, ऐसी स्थिति में इस तथ्य को प्रमाणित करने का भार अभियुक्त पर था कि वह यह बताता कि उसे इस मोबाइल फोन का झाड़ी में छिपे होने के संबंध में कैसे जानकारी प्राप्त हुयी।

76. झाड़ी खुला स्थान नहीं है। झाड़ी में किसी वस्तु के छुपे होने का तात्पर्य ही यह है कि उसे ऐसे स्थान पर रखा गया है, जो विशेष प्रयास किए बिना दिखाई नहीं दे सकता है।

77. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **न्यायदृष्टांत स्टेट ऑफ महाराष्ट विरुद्ध सिराज हुसैन 2007 (5) एस.सी. 161** में यह प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा

27 के प्रकाश में आयी साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की निरीक्षण क्षमता अलग अलग होती है। एक व्यक्ति किसी तथ्य पर ध्यान देता है। उसी तथ्य को दूसरा व्यक्ति अनदेखा कर देता है, अतः न्यायालय को पूरी साक्ष्य पर विचार करना चाहिए। कुछ तकनीकि कमियों के आधार पर जो मामले के जड़ तक नहीं जाती है। अनुसंधान अधिकारी की पूरी साक्ष्य निरस्त नहीं करनी चाहिए। अभियोजन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जिस घर से वस्तुए जप्त हुयी हैं उसके स्वामित्व को प्रमाणित करे।

78. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **न्यायदृष्टांत स्टेट ऑफ महाराष्ट विरुद्ध सुरेश (2000) 1 एस.सी.सी. 471** में यह प्रतिपादित किया है कि जब अभियुक्त वह स्थान जहां मृतक स्वयं या अपराध से संबंधित वस्तुओं को छिपाकर रखे होना बताता है और यह नहीं बताता है कि उसने छिपाया है तो तीन संभावनाएं बनती है :-

01. उसने स्वयं अपराध से जुड़ी हुयी वस्तु उस स्थान पर छिपायी है,
02. उसने किसी को यह वस्तु छिपाते हुए देखा है,
03. उसको किसी ने बताया कि यह वस्तुएं वहां छिपाकर रखी हैं।

79. जब अभियुक्त न्यायालय में दूसरी और तीसरी परिस्थिति के ज्ञान के बारे में कुछ नहीं बताता है तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकती है कि यह वस्तुयें उसी ने वहां छिपायी थी, क्योंकि अभियुक्त ही वह व्यक्ति है, जो इस संबंध में स्पष्टीकरण दे सकता है कि इन वस्तुओं को वहां छिपाने का तथ्य उसके ज्ञान में कैसे आया और यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का सही अर्थानवयन है, जो असंगत नहीं है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत पुन्नू स्वामी विरुद्ध स्टेट ऑफ तमिलनाडु (2008) 5 एस.सी.सी. 587** अवलोकनीय है।

80. उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में अभियुक्त के द्वारा यह स्पष्टीकरण न दिये जाने पर कि उसे मोबाइल फोन को झाड़ी में छिपाते हुए किसी को देखा गया था या किसी ने मोबाइल फोन को झाड़ी में छिपाने की जानकारी दी थी, के अभाव में अभियुक्त ओमप्रकाश के विरुद्ध यह उपधारणा की जाती है कि यह मोबाइल फोन अभियुक्त ओमप्रकाश के ही द्वारा झाड़ियों में फेंका गया था और इस फोन को ओमप्रकाश के आधिपत्य में ही माना जावेगा।

81. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **न्यायदृष्टांत एस. जीवनाथम विरुद्ध स्टेट ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 4608** में यह प्रतिपादित किया गया है कि एक निरीक्षक जिसने तलाशी और जप्ती की, उसी ने अपराध पंजीबद्ध किया, यह कृत्य उस निरीक्षक ने अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया, अनुसंधान के दौरान चार्जशीट प्रस्तुत की, उस निरीक्षक को उस प्रकरण में हितबद्ध साक्षी नहीं माना जा सकता और उसके द्वारा की गई कार्यवाही को बिना किसी समुचित कारण के प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।

82. अभियुक्त का मोबाइल फोन ओमप्रकाश के आधिपत्य से प्राप्त होना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि अभियुक्त ओमप्रकाश मृतक की हत्या के समय घटनास्थल पर उपस्थित था।

83. अभियोजन के द्वारा **संतोष कुमार वर्मा (अ.सा. 23)** जो संयुक्त निदेशक राज्य न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में पदस्थ थे, को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए इस प्रकरण के भेजे गये प्रदर्शों की वैज्ञानिक जांच की थी। उन्होंने बताया कि उन्हें सील बंद पैकेट में खून आलूदा मिटटी, सादा मिटटी, घटनास्थल से जप्त पत्थर आर्टिकल–सी, घटनास्थल से जप्त पत्थर आर्टिकल–डी, जींस आर्टिकल–ई, अतुल से जप्त **शर्ट आर्टिकल–ई,** चडडी आर्टिकल–ई3, बनियान

आर्टिकल–ई4, टाबिल आर्टिकल–ई5, रूमाल आर्टिकल–ई6, मौजे आर्टिकल–ई7, ताबीज माला आर्टिकल–ई8, पेंट आर्टिकल–एफ1, शर्ट आर्टिकल–एफ2, जींस आर्टिकल–जी.1, शर्ट आर्टिकल–जी.2, जांच हेतु प्राप्त हुए थे, जिनकी जांच में उन्होंने पाया था कि प्रदर्श ए, सी, डी, ई.1, ई.2, ई.3, ई.4, ई.5, ई.6, ई.7, ई.8, एफ.1, एफ.2, जी.1, जी.2 पर रक्त होना पाया गया था। प्रदर्श बी. पर रक्त नहीं पाया गया। उक्त सभी प्रदर्श पर मानव रक्त पाया गया था। प्रदर्श डी., एफ.2, जी.2 रक्त पर रक्त के धब्बों की प्रजाति रक्त के अपर्याप्त होने के कारण जांच नहीं की जा सकी। रक्त के धब्बों के वर्गीकरण का परीक्षण किया गया था। प्रदर्श डी., एफ.2, जी.2 पर रक्त की मात्रा अपर्याप्त थी। प्रदर्श ई.1 लगायत ई.8 पर कंट्रोल नमूना प्राप्त नहीं हुआ था। प्रदर्श ए., सी. एवं जी.1 के परीक्षण परिणाम अनिश्चित पाये गये हैं, उनके द्वारा दी गयी रिपोर्ट प्रदर्श पी–38 है।

84. साक्षी ने बताया कि उनके समक्ष ड्राफ्ट क्रमांक 128/15 दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त प्रदर्श में से एक शर्ट, एक पेंट का परीक्षण किया गया था, जो एच.1 और एच.2 है जिन पर रक्त नहीं पाया गया, इसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–39 है, जिस पर डॉक्टर पवन कुमार चौहान के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श एच.1 तथा एच.2 की जांच डॉक्टर पवन कुमार चौहान के द्वारा की गयी थी।

85. अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त प्रदर्श की जांच के लिए उन्होंने सील बंद अवस्था में खोलने का पंचनामा नहीं बनाया था। जांच के दौरान रक्त समूह के निष्कर्ष पर वे नहीं पहुंच सके थे। आर्टिकल्स को सील बंद करने का पंचनामा उनके द्वारा नहीं बनाया गया था। तीन माह की अवधि में जांच हेतु प्राप्त वस्तुएं कहां और किस स्थिति में रखी

थी, इस संबंध में प्रदर्श पी–38 में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं।

86. विधि का यह सुस्थापित नियम है कि हत्या जैसे मामलों में हत्या में उपयोग किया गया हथियार या सामग्री को न्यायालय पटल पर अवश्य पेश किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में हत्या करने में पत्थरों का उपयोग किया गया है। इन पत्थरों को जांच हेतु एफ.एस.एल. भेजा गया था, जिसकी पुष्टि संतोष कुमार वर्मा (अ.सा. 23) के द्वारा की गयी। उनके द्वारा इन पत्थरों को आर्टिकल सी. और डी. अंकित किया गया था। आर्टिकल सी. पर मानव रक्त पाया गया। आर्टिकल डी. पर रक्त की मात्रा पर्याप्त न होने के कारण यह जांच नहीं की जा सकी कि उस पर रक्त के समान जो धब्बे दिखायी दे रहे हैं, वह मानव रक्त है अथवा नहीं। इन आर्टिकल्स को एफ.एस.एल. से सील बंद अवस्था में संबंधित आरक्षी केंद्र को प्रेषित किया गया। संबंधित आरक्षी केंद्र के द्वारा इन आर्टिकल्स को न्यायालय के मालखाने में जमा नहीं किया गया। इस प्रकरण में इन आर्टिकल्स को आहूत किये जाने के लिए अनेकों प्रयास किये गये, पत्राचार किये गये, किन्तु अंत तक यह आर्टिकल्स न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये जा सके। मालखाने के प्रभारी आरक्षी केंद्र को कथन हेतु आहूत किया गया, जिन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में शार्टसर्किट के कारण थाने में आग लग गयी थी, उसमें अनेकों सामग्री नष्ट हो गयी थी, उसी दुर्घटना में इस प्रकरण से संबंधित सामग्री नष्ट होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि उनके थाने में रखे गये समस्त मुददेमाल में उनके द्वारा ढूंढा जा चुका है, किन्तु इस प्रकरण से संबंधित मुददेमाल थाने पर उपलब्ध नहीं हुआ। इस विशेष परिस्थिति में मुददेमाल न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ। इस परिस्थिति को एक सामान्य प्रकरण की परिस्थिति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक विशेष परिस्थिति है जबकि किसी आगजनी की घटना में

मुददेमाल नष्ट हो गया है और वह न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकरण में अपराध मात्र जप्तशुदा सामग्री के आधार पर प्रमाणित किया जा रहा हो। इस प्रकरण में अभियोजन के द्वारा संकलित साक्ष्य अपराध को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। मेरे विनम्र अभिमत में मुददेमाल न्यायालय पटल पर पेश न होने को अभियुक्तगण की दोषमुक्ति का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

87. इस प्रकरण में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का मुख्यतः यह तर्क है कि अभियुक्त प्रदीप के विरुद्ध अभिलेख पर ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है कि वह किसी भी प्रकार से इस अपराध में संलिप्त था, उसके आधिपत्य से अपराध से संबंधित कोई भी वस्तु जप्त नहीं है। अंतिम परिदृश्य मृतक की पत्नी के द्वारा प्रमाणित माना गया है, किन्तु मृतक की पत्नी के भी द्वारा अभियुक्त प्रदीप को मृतक के साथ देखे जाने के कथन नहीं किये गये हैं। इस प्रकार अभियुक्त प्रदीप के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं है।

88. विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री योगेश जायसवाल का तर्क है कि अभियोजन ने ऐसी साक्ष्य अभिलेख पर पेश की है, जिसमें अभियुक्त प्रदीप के विरुद्ध भी अपराध प्रमाणित है।

89. अभियोजन के द्वारा **राजेश गुप्ता (अ.सा. 14)** को इस आधार पर परीक्षित कराया गया है कि अभियुक्तगण ने एक दूसरे को घटना के समय फोन कॉल किये थे। घटना के समय उनकी लोकेशन किस स्थान पर थी तथा रवि के फोन पर कब और किसने फोन किये थे, इस तथ्य को प्रमाणित किये जाने हेतु राजेश गुप्ता (अ.सा. 14) जो घटना के समय आइडिया सेल्युलर लिमिटेड कंपनी में नोडल अधिकारी के पद पर पदस्थ थे, ने कथन किया कि राजेश कुमार सिंह के द्वारा नोडल अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए उनके

साथ काम किया गया है, वे उनके हस्ताक्षर पहचानते हैं। इस साक्षी ने बताया कि दिनांक 25.09.2014 को आरक्षी केंद्र लसुड़िया द्वारा प्रदर्श पी–21 का पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें मोबाइल नंबर 9977887620, 7354689263 एवं 9977711185 की कॉल डिटेल दिनांक 15.06.2014 से दिनांक 20.06.2014 तक की तथा इन मोबाइल नंबर में जो सिम लगी है, उसे प्राप्त करते समय भरे गये फार्म मागे गये थे। उक्त तीनों नंबरों की कॉल डिटेल प्रदर्श पी–22 लगायत प्रदर्श पी–24 है, जिन्हें राजेश गुप्ता के द्वारा हस्ताक्षरित कर सील लगाकर प्रदान किया गया था। इनके संबंध में अधिनियम की धारा 65–बी का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया था, जो प्रदर्श पी–25 है।

90. प्रदर्श पी–22 लगायत प्रदर्श पी–24 की कॉल डिटेल से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को अभियुक्त रवि की अभियुक्त ओमप्रकाश तथा मृतक अतुल से बातचीत हुयी थी। घटना दिनांक को रवि, ओमप्रकाश तथा ओमप्रकाश का पुत्र प्रदीप उनके घर पर एकत्रित थे। उन्होंने साथ में शराब पी थी और उसके पश्चात वे वहां से चले गये थे। इस साक्षी के कथन तथा कॉल डिटेल प्रदर्श पी–22 लगायत प्रदर्श पी–24 इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि घ टना दिनांक को तीनों अभियुक्तगण एक साथ थे।

91. इस संबंध में यह तथ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं कि घटना के पश्चात अभियुक्त रवि ने अपना फोन बंद कर लिया था। मृतक की पत्नी ने जब उसे बार बार ढूंढा तो उन्होंने पाया कि रवि का फोन बंद है। घटना की रात्रि को वह अपनी पत्नी को लेकर गांव चला गया था, जिससे भी यह स्पष्ट है कि वह घटना के पश्चात वह भाग गया था।

92. यह सही है कि इस प्रकरण में जहां अंतिम परिदृश्य अभियुक्त रवि के लिए प्रमाणित किया गया है, वही अंतिम परिदृश्य अभियुक्तगण

ओमप्रकाश व प्रदीप के लिए प्रमाणित नहीं है, किन्तु यह प्रकरण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित किया जाना है। यदि अपराध की कड़ी को जोड़ा जाए तो इसमें अभियुक्त रविशंकर की पत्नी सविता (अ.सा. 22) एक महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसने घटना के समय अभियुक्त रविशंकर, प्रदीप तथा ओमप्रकाश को साथ–साथ अपने घर में देखा था, उसके पश्चात तीनों साथ–साथ गये और रविशंकर अकेला लौटकर वापस आया।

93. यह सही है कि प्रदीप से जो मोटर साइकिल जप्त की गयी है वह मोटर साइकिल उसी के स्वत्व व आधिपत्य की है, किन्तु अभियुक्त प्रदीप से उसके स्वयं के कपड़े जप्त किये गये हैं, जिन्हें जप्ती के पश्चात जी.1 तथा जी.2 आर्टिकल के रूप में अंकित किया गया है। जी.1 तथा जी.2 को जब एफ.एस.एल. जांच हेतु भेजा गया तो जी.1 में प्रदर्श पी–38 की रिपोर्ट के अनुसार मानव रक्त होना पाया गया है। जी. 2 पर जो रक्त पाया गया, उसकी मात्रा कम होने के कारण जी.2 के संबंध में यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सका कि जी.2 पर जो रक्तनुमा धब्बे पाये गये, उनकी प्रकृति क्या थी, किन्तु जी.1 पर मानव रक्त होना पाया गया। ऐसी स्थिति में स्पष्टीकरण देने का भार अभियुक्त प्रदीप पर था कि वह यह स्पष्ट करता कि कपड़ों पर मानव रक्त किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में, कैसे आया और वह मानव रक्त किस व्यक्ति का था।

94. घटना के तुरंत पश्चात प्रदीप के आधिपत्य से उसके द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर जो कपड़े जप्त किये गये उनमें रक्त पाया जाना इस कड़ी को जोड़ता है कि घटना के समय अभियुक्त प्रदीप घटनास्थल उपस्थित था, जब मृतक को पत्थरों से मारकर उसकी हत्या की गयी, तब रक्त उसके कपड़ों पर भी आया। अधिनियम की धारा 106 यह प्रावधान करती है कि यदि किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में कोई तथ्य आता है, तब उस विशेष तथ्य

को प्रमाणित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा, जिसके विशेष ज्ञान में वह तथ्य आया था। यदि उस व्यक्ति के द्वारा ऐसे तथ्य को प्रमाणित नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि अभियोजन के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, वह सही है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिव्यक्त किया गया कि जहां अभियुक्त अभियोजन परिस्थितियों का कोई स्पष्टीकरण नहीं देता या मिथ्या स्पष्टीकरण देता है, वहां पर ऐसा आचरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियों की पूर्ति कर देता है, इस संबंध में न्यायदृष्टांत **त्रिमुख मारूती किर्कन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एस.सी.सी. 681** अवलोकनीय है।

95. इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा प्रदर्श पी—32 लगायत प्रदर्श पी—35 के रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत किये हैं, जिनके संबंध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह आपत्ति ली गयी कि यह रोजनामचा सान्हा कंप्यूटर से जेनरेटेड करके बनाये गये हैं और उसकी प्रिंट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र पेश किया जाना आज्ञापक है कि इन रोजनामचा सान्हा की प्रतियों को निकालते समय इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया कि वे जैसे लिखे गये थे, वैसे ही प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि रोजनामचा सान्हा साक्ष्य में ग्राहय नहीं हो सकता तथा न्यायालय निर्णय पारित करते समय इन रोजनामचा सान्हा को नहीं पढ़ सकती।

96. इस संबंध में नोटिफिकेशन दिनांक 2 अगस्त, 2023 का उल्लेख किया जाना है, जिसमें यह अभिलिखित किया गया है कि :— File No. 4001-XXI-B(One)-2023--In Exercise of the powers conferred by Entry No. 1 and 2 of the Concurrent List of the Constitution Of India, the State

Government, hereby, notifies that all the documents signed by e-pen/stylus or any other electronic mode under CCTNS CAS software shall be admissible in evidence without certificate under section 65B of the Indian Evidence Act, 1872(1 of 1872).

97. उक्त नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि रोजनामचा सान्हा की प्रति निकालकर उसे न्यायालय में पेश करते समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65–बी (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा, 63) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

98. अब यह विचार किया जाना है कि इस अपराध को कारित करने के पूर्व क्या अभियुक्तगण के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कारित किया गया था, जिसके संबंध में आरोप की विरचना की गई है। **संहिता की धारा 120क** आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान बताती है, किन्तु आपराधिक षड्यंत्र व्यक्ति के किस कृत्य को कहा जायेगा, यह संहिता की धारा 120क बताती है, अतः संहिता की धारा 120क का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

धारा 120–क :– जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति –

01. कोई अवैध कार्य, अथवा,

02. कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसी सहमति आपराधिक षड़यंत्र कहलाती है परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षडयंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई और कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

स्पष्टीकरण :– यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उददेश्य है या उस उददेश्य का आनुषंगिक मात्र है।

99. इस प्रकरण में अभियुक्त की पत्नी के द्वारा बताया गया था कि तीनों अभियुक्तगण घटना के पूर्व रविशंकर के घर पर एकत्रित हुए थे और उस समय रविशंकर ने अपनी पत्नी को एक अलग कमरे में कर दिया था। स्पष्ट है कि वहां पर योजना बनाई जा रही थी और इस योजना के पश्चात् मृतक की हत्या की गई। अभियुक्तगण के आचरण से स्पष्ट है कि इस आपराधिक षड्यंत्र को किए जाने में उनकी सहमति थी और इस षड्यंत्र के आलोक में उनके द्वारा कृत्य भी किया गया। रविशंकर के द्वारा मृतक को असत्य जानकारी देते हुए घर से लाया गया, शेष दो अभियुक्तगण उनके साथ खेत तक गए, जहां पर पत्थरों से मृतक पर प्रहार किए गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा जो भी अपराध किया गया, वह **आपराधिक षड्यंत्र** के अंतर्गत किया गया।

100. न्यायालय पटल पर पेश आर्टिकल ए तथा बी यह प्रमाणित करते हैं कि घटना के समय अभियुक्त ओमप्रकाश अपने पुत्र के साथ घटनास्थल पर उपस्थित थे। अभियुक्त ओमप्रकाश तथा मृतक अतुल सगे भाई थे, जिनके मध्य कृषि भूमि को लेकर विवाद था। ऐसी स्थिति में हेतुक भी प्रमाणित है कि कृषि भूमि के विवाद के परिणामस्वरूप योजनाबद्ध तरीके से रवि, जो पूर्व से अतुल का मित्र था, उसे लेने के लिए गया और अपनी मोटर साइकिल पर यह कहते हुए लेकर आया कि देवास शहर में वाटर प्यूरीफायर खराब हो गया है, जिसे उसी समय ठीक करने जाना है। रवि उसे लेकर खेत पर पहुंचा जहां पर ओमप्रकाश और उनका पुत्र पूर्व से उपस्थित थे। तीनों ने मिलकर पत्थरों से मृतक की हत्या की और उसकी लाश को वहीं छोड़कर फरार हो गये।

101. अभियुक्त रवि को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था। इस घटना के ठीक पूर्व रवि ओमप्रकाश तथा प्रदीप अभियुक्त रवि के घर पर एकत्रित हुए थे, जिसकी पुष्टि अभियुक्त रवि की पत्नी सविता के द्वारा भी की गयी। इसके पश्चात रवि मृतक को लेकर गया। मृतक का मोबाइल फोन ओमप्रकाश के द्वारा बताये गये स्थान से जप्त होना यह बताता है कि घटना के पूर्व मृतक अपने घर से अपना मोबाइल फोन अपने साथ लेकर निकला था, जिस पर उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें बार–बार फोन भी किया गया था। दो बार घंटी जाने के बाद फोन बंद हो गया था। वह ओमप्रकाश के पास किन परिस्थितियों में पहुंचा, इसका कोई स्पष्टीकरण ओमप्रकाश के द्वारा नहीं दिया गया है।

102. तत्पश्चात् अभियुक्तगण के द्वारा पत्थरों से मारकर मृतक की हत्या की गयी, जिसके संबंध में डॉक्टर बी.के. (अ.सा. 12) व डॉक्टर गबली (अ.सा. 13) के द्वारा यह बताया गया कि मृतक की मृत्यु उसके सिर पर आयी हुयी चोटों के परिणामस्वरूप हुयी थी, जो चोटें उसके चेहरे पर पायी गयी थीं, वे सभी सख्त एवं भोंथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी, इससे यह भी स्पष्ट है कि अभियोजन इस तथ्य को भी प्रमाणित करने में सफल रहा कि अभियुक्तगण ने पत्थरों से मृतक की हत्या की थी। घटनास्थल पर जो पत्थर जप्त किये गये थे उनमें से एक पत्थर पर मानव रक्त होना पाया गया था। दूसरे पत्थर पर रक्त की मात्रा कम होने के कारण यह जांच नहीं हो पायी कि उस पर जो रक्त समान धब्बे दिखायी दे रहे हैं, वे क्या हैं। इस प्रकार अपराध से संबंधित कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती गयी हैं, कोई भी कड़ी नहीं टूटी है।

103. जिस समय अभियुक्त रविशंकर, ओमप्रकाश तथा प्रदीप, रविशंकर के घर पर एकत्रित थे और उन्होंने रविशंकर की पत्नी को एक अन्य कमरे में

बंद कर दिया था और वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे तब निश्चित ही यह माना जा सकता है कि वे अपराध को कारित करने का षड़यंत्र कर रहे थे, जिस योजना के आलोक में रवि मृतक को उसके घर से असत्य आवश्यकता बताते हुए लेकर आया और खेत पर लेकर गया, जहां पर उसे तीनों अभियुक्तगण ने आपराधिक षड़यंत्र बनाते हुए उसके अंतर्गत षड़यंत्र की पूर्ति स्वरूप पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस प्रकार आपराधिक षड़यंत्र किया जाना भी प्रमाणित है।

104. अब यह देखा जाना है कि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से अपराध की कड़ी जुड़ी है अथवा नहीं, जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के साथ देखा जाए:—

01. घटना के एक दिन पूर्व शोभा राठौर के घर अभियुक्त रविशंकर गया और मृतक को असत्य जानकारी देते हुए कहा कि उसे वाटर प्यूरीफायर ठीक करने के लिए अभी देवास जाना है, जिसके कथन के आधार पर शोभा के मना करने के बाद भी मृतक अतुल, रविशंकर के साथ चला गया।

02. मृतक अतुल को रविशंकर अपने साथ लेकर गया, उसके बाद मृतक को किसी और के साथ नहीं देखा गया, और न ही किसी के साथ उसका कोई भी संपर्क हुआ।

03. अतुल के घर न लौटने पर शोभा के द्वारा अतुल को फोन लगाया गया, दो फोन के पश्चात् उसका फोन बंद हो गया, रविशंकर को फोन लगाये जाने पर रविशंकर का फोन भी बंद हो गया।

04. अतुल के घर पर लौटने पर उसकी पत्नी के द्वारा प्रथम सूचना पत्र अंकित कराई गई, जिसमें उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया, जो उसने घटना घटित होना बताई थी।

05. मृतक की लाश खेत में पायी गयी, उसके शरीर पर आयी हुयी

चोट सख्त एवं भोंथरी वस्तु से आयी होना पायी गयी, जिससे उससे मृत्यु संभावित थी।

06. अभियुक्त रवि की पत्नी ने बताया कि 15 तारीख को शाम को रवि, ओमप्रकाश तथा प्रदीप तीनों एक साथ उनके घर पर थे और वे शराब पी रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने रवि की पत्नी को कमरे में बंद कर दिया था, उसके पश्चात वे सभी वहां से चले गये। तीनों अभियुक्तगण का आपसी संपर्क या उनके षड्यंत्र रविशंकर की पत्नी के कथनों से प्रमाणित होता है।

07. अभियुक्त ओमप्रकाश की निशादेही पर मृतक का फोन झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला, जिसकी बैटरी फोन से अलग पड़ी थी, जो आर्टिकल ए–01 व ए–02 है। झाड़ियों में मृतक का फोन होने की जानकारी उसी व्यक्ति को हो सकती थी, जिसने झाड़ियों में उसे छिपाया था।

08. ओमप्रकाश तथा प्रदीप से पुलिस ने घटना दिनांक को पहने हुए कपड़े जप्त किये, जिनमें मानव रक्त होना पाया गया था। मानव रक्त क्यों पाया गया, इसका कोई भी स्पष्टीकरण दोनों अभियुक्त ने नहीं दिया।

09. एफ.एस.एल. रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि हुयी कि जो कपड़े एफ.एस.एल. जांच के लिए भेजे गये थे, उनमें मानव रक्त पाया गया था। उनके कपड़ों पर मानव रक्त कहां से आया, इसका कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

इस प्रकार उक्त समस्त कड़ियां एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हैं।

105. अब अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों का विवेचन किया जा रहा है। न्यायदृष्टांत **राजाराम (उपरोक्त)** के अनुसार इस प्रकरण

में यदि दो संभावनायें होती हैं तो उस संभावना पर न्यायालय को विचार करना चाहिए, जो अभियुक्त के पक्ष में है। इस प्रकरण में अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध को प्रमाणित करने में सफल रहा है। ऐसी स्थिति में दो अभिमत नहीं हैं, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जा सके।

106. न्यायदृष्टांत **थम्मारामा (उपरोक्त)** में जप्ती पंचनामा प्रदर्शित नहीं की गई थी, जिसका लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त हुआ था। इस प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति विद्यमान नहीं है। जप्ती की कार्यवाही को अनुसंधान अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया गया है, अतः इस न्यायदृष्टांत का लाभ भी अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है।

107. न्यायदृष्टांत **अशोक (उपरोक्त)** में अभियुक्त कथन के अवसर पर अभियुक्त से आवश्यक प्रश्न नहीं पूछे गए थे। चप्पल तथा अंडरवियर की बरामदगी के समय बनाये गए मेमोरेंडम में स्थान व समय अंकित नहीं था। इस प्रकरण में जो भी परिस्थितियां अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट हुईं थीं, उन सभी के संबंध में अभियुक्तगण से अभियुक्त कथन के अवसर पर प्रश्न पूछे गए थे, अतः इस न्यायदृष्टांत का लाभ भी अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है।

108. न्यायदृष्टांत **अरूण (उपरोक्त)** में प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक के पिता ने केवल एक अभियुक्त का नाम लिखाते हुए दूसरे व्यक्ति को अज्ञात बताया था, किन्तु न्यायालयीन कथन में अनेकों विसंगतियां थीं, पिस्तौल से गोली चलना बताया गया था जबकि चिकित्सक ने धारदार वस्तु से चोट होना पाई थी। इस प्रकरण में ऐसी कोई भी परिस्थिति विद्यमान नहीं है, अतः उक्त न्यायदृष्टांत के सभी तथ्य वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों से पृथक होने से अभियुक्तगण को इसका लाभ प्राप्त नहीं होता है।

109. न्यायदृष्टांत **अल्लारक्खा (उपरोक्त)** इस प्रकरण में अभियुक्तगण की पहचान उचित रूप से नहीं की गई थी। ऐसी कोई भी परिस्थिति वर्तमान प्रकरण में विद्यमान नहीं है। अभियुक्त रविशंकर मृतक का मित्र था, उसे निरंतर मिलता रहता था, शेष दो अभियुक्त एक मृतक का भाई और एक मृतक का भतीजा था, अतः इस प्रकरण में पहचान के संबंध में कोई भी विसंगति नहीं होने से इस न्यायदृष्टांत का लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है।

110. न्यायदृष्टांत **काना उर्फ कन्हैयालाल (उपरोक्त)** में चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों में विसंगति थी। घटनास्थल पर क्या हुआ था, इस संबंध में पृथक–पृथक साक्ष्य भिन्न–भिन्न कथन कर रहे थे। इस विरोधाभास के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया। इस प्रकरण में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी होने जैसी कोई भी परिस्थिति विद्यमान नहीं है, अतः इस न्यायदृष्टांत का लाभ भी अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है।

111. न्यायदृष्टांत **अजीतसिंह (उपरोक्त)** में अभियुक्तगण की पहचान संदेहास्पद थी, किन्तु वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण की पहचान के संबंध में कोई भी संदेह नहीं है, अतः इस न्यायदृष्टांत का लाभ भी अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है।

112. न्यायदृष्टांत **विजय कुमार (उपरोक्त)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को तभी प्रमाणित माना जायेगा, जबकि उसकी कड़ी न टूटी हो। वर्तमान प्रकरण में यह उल्लेख किया जा चुका है कि इस प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कोई भी कड़ी नहीं टूटी है, अतः इस न्यायदृष्टांत की सभी आवश्यक शर्तों को इस प्रकरण में पूरा किया गया है।

113. न्यायदृष्टांत **विनोभाई (उपरोक्त)** में अधिनियम की धारा 27 के

प्रमाणीकरण के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए थे, जिसमें यह बताया गया कि मेमोरेंडम के आधार पर सिर्फ जप्ती होना पर्याप्त नहीं है। मेमोरेंडम तथा जप्ती को प्रमाणित करना भी आवश्यक है। इस प्रकरण में जप्ती स्पष्ट रूप से प्रमाणित की गई है, अतः स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जो न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से पृथक हैं, अतः इनका लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है।

114. अतः अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित करने में सफल रहा कि ने अभियुक्तण ने दिनांक 17.06.2014 को इंद्रजीत सिंह के खेत गुरुद्वारे के पास बायपास रोड, निपानिया रोड, इंदौर थाना लसुड़िया के क्षेत्रान्तर्गत समय लगभग 04:00 बजे मृतक अतुल राठौर को पत्थरों से मारकर साशय मृत्यु कारित कर हत्या की एवं मृतक अतुल राठौर की हत्या करने के आशय से जो कि मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय अपराध ा है, को करने हेतु अन्य सहअभियुक्तगण के साथ संयुक्ततः एवं सम्मिलित होकर आपराधिक षड़यंत्र किया और उपरोक्त आपराधिक षड़यंत्र के तहत ही मृतक अतुल राठौर की हत्या कारित की।

संहिता की धारा 300 यह प्रावधान करती है कि :—

एतस्मिन पश्चात अपवादिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है। यदि वह कारित, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो अथवा,

दूसरा — ....

तीसरा — यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो अथवा,

चौथा — यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वाक्त रूप से क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

न्यायदृष्टांत **बख्तावर व अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 166** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि अभियुक्त का आशय उन चोटों को पहुंचाना रहा था जो वस्तुतः कारित की गयी थीं और ऐसी चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त पायी जाएं तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के तीसरे खण्ड के अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाती हैं और हत्या के अपराध का गठन हो जाता है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि मृतक के सिर में पत्थरों से मारा गया था, अभियुक्तगण या यह भी कहा जा सकता है कि एक सामान्य व्यक्ति को यह जानकारी होती है कि यदि किसी बाहरी वस्तु से किसी व्यक्ति के सिर जैसे मार्मिक स्थान पर बलपूर्वक प्रहार किया जायेगा तो सामान्य अनुक्रम में ही उसकी मृत्यु हो जायेगी, अतः स्पष्ट है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिए किया गया यह प्रहार पर्याप्त था। **यह प्रकरण संहिता की धारा 300 के अपवाद में नहीं आता है।**

विचारणीय प्रश्न क्रमांक :-04

115. उपरोक्त साक्ष्य व प्रमाणित परिस्थितियों के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा कि अभियुक्तगण **प्रदीप व ओमप्रकाश** ने दिनांक 17.06.2014 को स्थान इंद्रजीत सिंह के खेत गुरूद्वारे के पास बायपास रोड़, निपानिया रोड़ इंदौर थाना

लसुड़िया के क्षेत्रान्तर्गत समय लगभग 04:00 बजे मृतक अतुल राठौर को पत्थरों से मारकर साशय मृत्यु कारित कर हत्या की एवं मृतक अतुल राठौर की हत्या करने के आशय से जो कि मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय अपराध है, को करने हेतु आपराधिक षड़यंत्र किया और उपरोक्त आपराधिक षड़यंत्र के तहत ही मृतक अतुल राठौर की हत्या कारित की। अभियुक्तगण **प्रदीप व ओमप्रकाश** का कृत्य संहिता की धारा 302 व 120–बी के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

116. **अभियोजन, अभियुक्तगण प्रदीप व ओमप्रकाश के विरुद्ध लगाये गये संहिता की धारा–302 व 120–बी के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है, परिणामतः अभियुक्तगण प्रदीप व ओमप्रकाश को संहिता की धारा –302 व 120–बी के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।** इस अपराध के अंतर्गत परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, अतः उन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

117. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर के लिए स्थगित किया जाता है।

सही/–

(डॉ. (श्रीमती) शुभ्रा सिंह)
छब्बीसवे अपर सत्र न्यायाधीश,
इन्दौर (म.प्र.)

दण्डाज्ञा :–

118. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि इस प्रकरण में विशेष परिस्थितियों में यह अपराध किया जाना दर्शित है। न्यायालय को दण्ड पारित करते समय यह भी देखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में अपराध किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क किया गया कि उनका यह प्रथम अपराध है। पूर्व की किसी भी दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य नहीं

है। उनके भविष्य को देखते हुए निरोध में व्यतीत अवधि के दण्डादेश से दण्डित किया जावे।

119. अपर लोक अभियोजक श्री योगेश जायसवाल का तर्क है कि संहिता की धारा–302 व 120–बी के अंतर्गत अभियुक्तगण को कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि इस प्रकरण की परिस्थितियां यह बताती हैं कि अभियुक्तगण के द्वारा सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से यह हत्या की गयी है। ऐसी स्थिति में दण्ड पर विचार करते समय न्यायालय को नम्र रूख नहीं अपनाना चाहिए।

120. दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

121. यह घटना अत्यंत ही दुख है। सगे भाई जो बचपन में साथ–साथ खेलते–खाते बड़े होते हैं, वे लालच में अंधे होकर अपने ही भाई की हत्या कर देते हैं। क्षणभर के लिए यह विचार भी नहीं आता है कि जिसकी हत्या कर रहे हैं, वह उनका सगा भाई है, जिसके साथ–साथ वह बड़े हुए हैं। बड़े भाई का स्थान भारतीय परिवेश में पिता के समकक्ष होता है। छोटे भाई का जहां पिता तुल्य स्नेह एवं संरक्षण मिलना चाहिए, वहां जमीन के लालच में सभी मर्यादाओं का त्याग कर उसकी हत्या कर दी गई।

122. संहिता की धारा 302 के लिए दो प्रकार के दण्डादेश का ही प्रावधान है। प्रथमतः आजीवन कारवास, द्वितीयतः फांसी की सजा। दण्डादेश पर विचार करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान मार्गदर्शन का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **बचनसिंह विरुद्ध पंजाब राज्य (1980) 2 एस.सी.सी. 684** तथा **माचीसिंह विरुद्ध पंजाब राज्य (1983) 3 एस.सी.सी. 470** का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जिसमें

उन्होंने मृत्यु दण्ड से संबंधित विधि का विस्तार से निर्वचन किया गया है। बचन सिंह (पूर्वोक्त) निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार संक्षेप में अधिव्यक्त किया गया है कि –

"(1) The extreme penalty of death need not be inficted except in gravest cases of extreme culpability.

(ii) Before opting for the death penalty the circumstances of the "ofender" also requires to be taken into consideration along with the circumstances of the "crime".

(III) Life imprisonment is the rule and death sentence is an exception. ... death sentence must be imposed only when life imprisonment appears to be an altogether inadequate punishment having regard to the relevant circumstances of the crime, and provided, and only provided, the option to impose sentence of imprisonment for life cannot be conscientiously exercised having regard to the nature and circumstances of the crime and all the relevant circumstances.

(iv) A balance sheet of aggravating and mitigating circumstances has to be drawn up and in doing so the mitigating circumstances have to be accorded full weightage and a just balance has to be struck between the aggravating and the mitigating circumstances before the option is exercised."

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **बचन सिंह (उपरोक्त)** न्यायदृष्टांत में निम्नलिखित न्यूनकारी परिस्थितियां बतायी गयी हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है :–

"206. ... "Mitigating circumstances.—In the exercise of its discretion in the above cases, the court shall take into account the following circumstances:

(1) That the ofence was committed under the infuence of extreme mental or emotional disturbance.

(2) The age of the accused. If the accused is young or old, he shall not be sentenced to death.

(3) The probability that the accused would not commit criminal acts of violence as would constitute a continuing threat to society.

(4) The probability that the accused can be reformed and rehabilitated. The State shall by evidence prove that the accused does not satisfy Conditions (3) and (4) above.

(5) That in the facts and circumstances of the case the accused believed that he was morally justifed in committing the ofence.

(6) That the accused acted under the duress or domination of another person

(7) That the condition of the accused showed that he was mentally defective and that the said defect impaired his capacity to appreciate the criminality of his conduct."

123. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **नरेश सिंह विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य (2012) 4 एस.सी.सी. 257** के प्रकरण में बचन सिंह व माचीसिंह **(पूर्वोक्त)** न्यायमत सहित न्यायदृष्टांत **सतीश भूषण बारिया विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य (2009) 6 एस.सी.सी. 498** व अन्य प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धान्तों में उल्लेख करते हुए न्यूनकारी व गुरुत्तकारी परिस्थितियों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

The law enunciated by this Court in its recent judgments, as already noticed, adds and elaborates the principles that were stated in Bachan Singh [(1980) 2 SCC 684 : 1980 SCC (Cri) 5801 and thereafter, in Machhi Singh [(1983) 3 SCC 470 : 1983 SCC (Cri) 6811. The aforesaid judgments, primarily dissect these principles into two diferent compartments- one being the "aggravating circumstances" while the other being the "mitigating circumstances ". The court would consider the cumulative efect of both these aspects and normally, it may not be very appropriate for the court to decide the most signifcant aspect of sentencing policy with reference to one of the

classes under any of the following heads while completely ignoring other classes under other heads. To balance the two is the primary duty of the court. It will be appropriate for the court to come to a fnal conclusion upon balancing the exercise that would help to administer the criminal justice system better and provide an efective and meaningful reasoning by the court as contemplated under Section 354(3) CrPC.

Aggravating circumstances

(1) The ofences relating to the commission of heinous crimes like murder, rape, armed dacoity, kidnapping, etc. by the accused with a prior record of conviction for capital felony or ofences committed by the person having a substantial history of serious assaults and criminal convictions.

(2) The ofence was committed while the ofender was engaged in the commission of another serious ofence.

(3) The ofence was committed with the intention to create a fear psychosis in the public at large and was committed in a public place by a weapon or device which clearly could be hazardous to the life of more than one person.

(4) The ofence of murder was committed for ransom or like ofences to receive money or monetary benefts.

(5) Hired killings.

(6) The ofence was committed outrageously for want only while involving inhumane treatment and torture to the victim.

(7) The ofence was committed by a person while in lawful custody.

(8) The murder or the ofence was committed to prevent a person lawfully carrying out his duty like arrest or custody in a place of lawful confnement of himself or another. For instance, murder is of a person who had acted in lawful discharge of his duty under Section 43 CrPC.

(9) When the crime is enormous in proportion like making an

attempt of murder of the entire family or members of a particular community.

(10) When the victim is innocent, helpless or a person relies upon the trust of relationship and social norms, like a child, helpless woman, a daughter or a niece staying with a father/uncle and is inficted with the crime by such a trusted person.

(11) When murder is committed for a motive which evidences total depravity and meanness.

(12) When there is a cold-blooded murder without provocation.

(13) The crime is committed so brutally that it pricks or shocks not only the judicial conscience but even the conscience of the society.

Mitigating circumstances

(1) The manner and circumstances in and under which the ofence was committed, for example, extreme mental or emotional disturbance or extreme provocation in contradistinction to all these situations in normal course.

(2) The age of the accused is a relevant consideration but not a determinative factor by itself.

(3) The chances of the accused of not indulging in commission of the crime again and the probability of the accused being reformed and rehabilitated.

(4) The condition of the accused shows that he was mentally defective and the defect impaired his capacity to appreciate the circumstances of his criminal conduct.

(5) The circumstances which, in normal course of life, would render such a behaviour possible and could have the efect of giving rise to mental imbalance in that given situation like persistent harassment or, in fact, leading to such a peak of human behaviour that, in the facts and circumstances of the case, the accused believed that he was morally justifed in committing

the ofence.

(6) Where the court upon proper appreciation of evidence is of the view that the crime was not committed in a preordained manner •and that the death resulted in the course of commission of another crime and that there was a possibility of it being construed as consequences to the commission of the primary crime.

(7) Where it is absolutely unsafe to rely upon the testimony of a sole eyewitness though the prosecution has brought home the guilt of the accused.

77. While determining the questions relatable to sentencing policy, the court has to follow certain principles and those principles are the loadstar besides the above considerations in imposition or otherwise of the death sentence.

Principles

(I) The court has to apply the test to determine, if it was the "rarest of rare" case for imposition of a death sentence.

(2) In the opinion of the court, imposition of any other punishment i.e. life imprisonment would be completely inadequate and would not meet the ends of justice.

(3) Life imprisonment is the rule and death sentence is an exception.

(4) The option to impose sentence of imprisonment for life cannot be cautiously exercised having regard to the nature and circumstances of the crime and all relevant considerations.

(5) The method (planned or otherwise) and the manner (extent of brutality and inhumanity, etc.) in which the crime was committed and the circumstances leading to commission of such heinous crime.

The court then would draw a balance sheet of aggravating and

mitigating circumstances. Both aspects have to be given their respective weightage. The court has to strike a balance between the two and see towards which side the scale/balance of justice tilts. The principle of proportion between the crime and the punishment is the principle of "just deserts" that serves as the foundation of every criminal sentence that is justifable. In other words, the "doctrine of proportionality" has a valuable application to the sentencing policy under the Indian criminal jurisprudence. Thus, the court will not only have to examine what is just but also as to what the accused deserves keeping in view the impact on the society at large.

124. उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के आलोक में इस प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया जावे तो यह प्रकरण उन विशेषतम प्रकरण की श्रेणी में नहीं आता, जिनके संबंध में फांसी की सजा पर विचार किया जाए।

125. अभियुक्तगण को संहिता की धारा 302 व 120—बी के अंतर्गत दण्डनीय अपराध मृतक अतुल राठौर की हत्या करने एवं षड़यंत्र करने के अपराध के लिए दोषी होना पाया गया है।

126. निश्चित रूप से अपराध की प्रकृति कूरतापूर्वक है, परन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि या आपराधिक प्रवृत्ति के संबंध में आक्षेप नहीं है। इस अपराध के पश्चात् उन्होंने कोई भी आपराधिक आचरण नहीं किया है। इन परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **बचन सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 898** में प्रतिपादित न्यायमत में निर्धारित मानकों की कसौटी परखने पर दोषसिद्ध हत्या के अपराध विरल से विरलतम की कोटी में नहीं आना स्पष्ट होता है। अभियुक्तगण की सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक दशा सहित प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचारोपरांत **अभियुक्तगण प्रदीप व ओमप्रकाश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 व 120—बी** के अपराध में निम्नानुसार दण्डित किया जाता है :—

अभियुक्त का नाम	धारा जिसके अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया	कारावास (सश्रम)	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम पर कारावास (साधारण)
प्रदीप पिता ओमप्रकाश	302 भा.दं.सं.	आजीवन कारावास	500/— (पांच सौ) रुपये	(01 माह) एक माह
	120—बी भा.दं.सं.	आजीवन कारावास	500/— (पांच सौ) रुपये	(01 माह) एक माह
ओमप्रकाश पिता मांगीलाल	302 भा.दं.सं.	आजीवन कारावास	500/— (पांच सौ) रुपये	(01 माह) एक माह
	120—बी भा.दं.सं.	आजीवन कारावास	500/— (पांच सौ) रुपये	(01 माह) एक माह

127. अभियुक्त प्रदीप दिनांक 29.06.2014 से दिनांक 05.03.2015 तक एवं अभियुक्त ओमप्रकाश दिनांक 29.06.2014 से दिनांक 23.11.2017 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। अभियुक्तगण के न्यायिक निरोध की विवरण तालिका अंतर्गत भा.ना.सु.सं. की धारा 468 के अंतर्गत निर्मित हो, जो निर्णय का भाग रहेगा तथा माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **क्रिमिनल अपील क. 653/2007 विश्वजीत व एक अन्य विरुद्ध म.प्र. राज्य निर्णय दिनांक 10.09.2013** में पारित आदेशानुसार अभियुक्त द्वारा प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जावे।

128. <u>अभियुक्तगण को दी गयी समस्त सजाएं साथ—साथ भुगतायी जाएंगी।</u>

129. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है तथा अभियुक्तगण के पृथक–पृथक सजा वारंट एवं निरोध पत्र बनाये जाकर उन्हें सजा भुगतने हेतु केन्द्रीय जेल, इंदौर भेजा जावे।

130. अभियुक्तगण से अर्थदण्ड की राशि वसूल किये जाने पर संपूर्ण अर्थदंड की राशि अपील अवधि उपरांत अपील न होने की दशा में मृतक की पत्नी शोभा राठौर को बतौर प्रतिकर प्रदान की जावे।

131. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति/सामग्री अभियुक्त रविशंकर के फरार होने से सुरक्षित रखी जावे तथा प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जावे कि प्रकरण का अन्य अभियुक्त रविशंकर फरार है, अतः प्रकरण को नष्ट नहीं किया जावे, सुरक्षित रखा जावे।

132. निर्णय की एक–एक सत्यप्रतिलिपि धारा 363(3) दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्तगण को निःशुल्क तत्काल प्रदान की जावे।

133. निर्णय की एक सत्यप्रतिलिपि अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला दंडाधिकारी जिला इंदौर को धारा 365 दं.प्र.सं. के तहत प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में
दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
उद्घोषित किया गया।

सही/–
(डॉ. (श्रीमती) शुभ्रा सिंह)
छब्बीसवे अपर सत्र न्यायाधीश,
इन्दौर (म.प्र.)

मेरे उदबोधन पर टंकित किया गया।

सही/–
(डॉ. (श्रीमती) शुभ्रा सिंह)
छब्बीसवे अपर सत्र न्यायाधीश,
इन्दौर (म.प्र.)

प्रारूप–च (परिशिष्ट)

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क–अभियोजन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा. 01	नरेंद्र चौधरी	देहाती नालिसी, मौका नक्शा, जप्ती, लाश पंचायतनामा
अ.सा. 02	स्नेह अग्रवाल	अभियोजन साक्षी
अ.सा. 03	ललित बेलिया	सफीना
अ.सा. 04	स्वप्निल पेठे	गिरफ्तारी व मेमोरेण्डम
अ.सा. 05	शंकर सिंह राजपूत	अभियोजन साक्षी
अ.सा. 06	रमेश चौहान	मर्ग रिपोर्ट
अ.सा. 07	शिवमोहन प्रजापत	मेमोरेण्डम व जप्ती
अ.सा. 08	अनिल दायमा	अभियोजन साक्षी
अ.सा. 09	नरेंद्र राठौर	शिनाख्तगी पंचनामा
अ.सा. 10	जगदीशचंद्र	गुमशुदगी रिपोर्ट
अ.सा. 11	शोभा राठौर	अभियोजन साक्षी
अ.सा. 12	डॉ. बी.के. सिंह	शव परीक्षण कर्ता
अ.सा. 13	डॉ. दीपक गवली	शव परीक्षण कर्ता
अ.सा. 14	राजेश गुप्ता	नोडल अधिकारी आइडिया सेल्युलर लिमिटेड
अ.सा. 15	शेर सिंह भूरिया	जप्ती
अ.सा. 16	करण सिंह चौहान	जप्ती
अ.सा. 17	युवराज सिंह	अन्वेषणकर्ता
अ.सा. 18	एम.के. रघुवंशी	प्रथम सूचना रिपोर्ट
अ.सा. 19	ओमकार सिंह भदौरिया	अन्वेषणकर्ता
अ.सा. 20	सुनील	अभियोजन साक्षी
अ.सा. 21	विनीत राठौर	अभियोजन साक्षी

अ.सा. 22	सविता	अभियोजन साक्षी
अ.सा. 23	संतोष कुमार वर्मा	जप्तशुदा प्रदर्श के परीक्षणकर्ता
अ.सा. 24	आनंद पाण्डेय	अभियोजन साक्षी

ख–प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो तो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
ब.सा.–01	निरंक	निरंक

ग–न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्या.सा.–01	भीमसिंह ठाकुर	मुददेलाल के संबंध में

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क–अभियोजन :–

01	प्रदर्श पी–01/अ.सा. 01	देहाती मर्ग इंटीमेशन
02	प्रदर्श पी–02/अ.सा. 01	नक्शा–मौका
03	प्रदर्श पी–03/अ.सा. 01	जप्ती पंचनामा
04	प्रदर्श पी–04/अ.सा. 01	नक्शा पंचायतनामा
05	प्रदर्श पी–05/अ.सा. 02	गिरफ्तारी पत्रक प्रदीप राठौड
06	प्रदर्श पी–06/अ.सा. 02	गिरफ्तारी ओमप्रकाश राठौड
07	प्रदर्श पी–07/अ.सा. 02	स्नेह के पुलिस कथन
08	प्रदर्श पी–08/अ.सा. 03	मृत्यु जांच पंचायतनामा
09	प्रदर्श पी–09/अ.सा. 04	अभियुक्त प्रदीप का मेमोरेण्डम
10	प्रदर्श पी–10/अ.सा. 04	अभियुक्त ओमप्रकाश का मेमोरेण्डम
11	प्रदर्श पी–12/अ.सा. 06	मर्ग रिपोर्ट
12	प्रदर्श पी–13/अ.सा. 07	अभियुक्त प्रदीप का मेमोरेण्डम
13	प्रदर्श पी–14/अ.सा. 07	अभियुक्त ओमप्रकाश का मेमोरेण्डम
14	प्रदर्श पी–15/अ.सा. 07	अभियुक्त ओमप्रकाश से जप्त सम्पत्ति का

		पत्रक
15	प्रदर्श पी–16 / अ.सा. 07	अभियुक्त ओमप्रकाश से जप्त सम्पत्ति का पत्रक
16	प्रदर्श पी–17 / अ.सा. 07	अभियुक्त प्रदीप से जप्त सम्पत्ति का पत्रक
17	प्रदर्श पी–18 / अ.सा. 09	शिनाख्त पंचनामा
18	प्रदर्श पी–19 / अ.सा. 10	गुमशुदा व्यक्ति की सूचना
19	प्रदर्श पी–20 / अ.सा. 12	शव परीक्षण के लिए आवेदन
20	प्रदर्श पी–21 / अ.सा. 14	कार्यालय थाना लसुड़िया द्वारा नोडल अधिकारी आईडिया को जारी किया गया पत्र
21	प्रदर्श पी–22 / अ.सा. 14	कॉल डिटेल
22	प्रदर्श पी–23 / अ.सा. 14	कॉल डिटेल
23	प्रदर्श पी–24 / अ.सा. 14	कॉल डिटेल
24	प्रदर्श पी–25 / अ.सा. 14	भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65–बी का प्रमाण पत्र
25	प्रदर्श पी–26 / अ.सा. 15	अस्पताल से प्राप्त मृतक की सामग्री संबंधी जप्ती पत्रक
26	प्रदर्श पी–28 / अ.सा. 18	प्रथम सूचना रिपोर्ट
27	प्रदर्श पी–29 / अ.सा. 19	गिरफ्तारी पत्रक रविशंकर
28	प्रदर्श पी–30 / अ.सा. 19	अभियुक्त रविशंकर का मेमोरेण्डम
29	प्रदर्श पी–31 / अ.सा. 19	जप्ती पत्रक
30	प्रदर्श पी–32 / अ.सा. 20	अभियुक्त रविशंकर का मेमोरेण्डम
31	प्रदर्श पी–32 लगायत 35 / अ.सा. 19	रोजनामचा सान्हा
32	प्रदर्श पी–36 / अ.सा. 21	पुलिस कथन
33	प्रदर्श पी–37 / अ.सा. 22	कविता के पुलिस कथन
34	प्रदर्श पी–38 व 39 / अ.सा.–23	जप्तशुदा प्रदर्शों का परीक्षण प्रतिवेदन / अभिमत पत्र

ख–प्रतिरक्षा

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	निरंक	निरंक

ग–न्यायालयीन प्रदर्श

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	निरंक	निरंक

घ–आवश्यक वस्तुऐं

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	आर्टिकल–ए	मोबाइल
02	आर्टिकल–बी	बैटरी

SHUBHRA SINGH

Digitally signed by SHUBHRA SINGH
Date: 2026.07.27 17:28:56 +0530

सही / –
(डॉ. (श्रीमती) शुभ्रा सिंह)
छब्बीसवे अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला इन्दौर (म.प्र.)